भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016¹

[20-07-2023 तक संशोधित]

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी 004.- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 196 और धारा 240 के साथ पठित धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमन बनाता है, अर्थात्

अध्याय-।

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- 1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियमन 01 दिसम्बर, 2016 से प्रवृत्त होंगे।
 - (3) ये विनियमन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो
- (क) "आवेदक" से धारा 7, 9 या 10, जैसा भी हो के अधीन आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से अभिप्रेत है;

²[(कक) "लेनदारों का वर्ग" से ऐसा वर्ग अभिप्रेत है जिसमें धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन कम से कम दस वितीय लेनदार हैं, और "किसी वर्ग में लेनदार" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयनतदनुसार किया जाएगा ।]

(ख) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से अभिप्रेत है;

¹अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी004., दिनांकित 30-11-2016, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

² अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2018-19/जी.एन/.आर.ई.जी/.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित।

- (ग) "आचार संहिता" से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में निर्दिष्टानुसार दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता से अभिप्रेत है;
- (घ) "समिति" से धारा 21 के अधीन गठित लेनदारों की समिति से अभिप्रेत है;
- (ङ) "कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" से इस संहिता के भाग-II के अध्याय-II के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया से अभिप्रेत है;
- (च) ³[***]
- (छ) "इलेक्ट्रोनिक स्वरूप" का आशय वहीं होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;
- (ज) "इलेक्ट्रोनिक माध्यम" से समाधान व्यावसायिक द्वारा भेजे गए किसी संप्रेषण से अभिप्रेत है जो उसके या कारपोरेट ऋणी के प्राधिकृत और सुरक्षित कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से भेजा जाता है जो पुष्टि प्राप्त करने और ऐसी सूचना प्राप्त करने के पात्र भागीदारों को संबोधित ऐसे संप्रेषण का रिकार्ड रखने में सक्षम है जो समाधान व्यावसायिक को ऐसे भागीदारों द्वारा दिए गए अंतिम इलेक्ट्रोनिक मेल पते पर यह संप्रेषण प्राप्त करने के पात्र हैं;
- 4[(जक) 'मूल्यांकन मेट्रिक्स' से समाधान योजनाओं पर उसके अनुमोदन के लिए विचार करने हेतु लागू किए जाने वाले ऐसे पैरामीटर और ऐसे पैरामीटरों को लागू करने की रीति अभिप्रेत है, जैसा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए;
- (जख) 'उचित मूल्य' से निगमित ऋणी की आस्तियों का ऐसा प्राक्किति प्राप्त करने योग्य मूल्य अभिप्रेत है, यदि उनका दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को एक इच्छुक क्रेता और एक इच्छुक विक्रेता के बीच किसी निष्पक्ष संव्यवहार में समुचित विपणन के पश्चात् विनिमय किया जाना हो और जहां पक्षकारों ने जानकर, बुद्धिमानी से और विवशता के बिना कार्य किया हो;]
- (झ) "पहचान संख्या" से सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या, जैसा भी हो, से अभिप्रेत है;
- (ञ) "दिवाला व्यावसायिक संस्था" से भारतीय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था से अभिप्रेत है;

³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2018-19/जी.एन/.आर.ई.जी/.032, दिनांकित 05-10-2018 द्वारा लोप किया गया ।

⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.024, दिनांकित 06-02-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

- ⁵[(ट) 'परिसमापन मूल्य' से निगमित ऋणी की आस्तियों का ऐसा प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य अभिप्रेत है यदि निगमित ऋणी का समापन दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को किया जाना हो ।]
- (ठ) "सहभागी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 24 के अधीन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पात्र है या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है;
- (ड) "पंजीकृत मूल्यांकक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पंजीकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है;
- (ढ) "⁶[अनुसूची-।]" से इन विनियमनों की ⁷[अनुसूची-।] से अभिप्रेत;
- (ण) "धारा" से संहिता की धारा से अभिप्रेत है;
- (त) "विडियों कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य या दृष्य माध्यम" से ऐसी श्रव्य और दृष्य सुविधा से अभिप्रेत है जिससे किसी बैठक में सहभागी बिना किसी मध्यस्थ के एक-दूसरे से बातचीत कर सकें और बैठक में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें।
- (2) जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए परंतु संहिता में परिभाषित किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन्हें संहिता में दिया गया है।

⁸[2क. वितीय लेनदार द्वारा व्यतिक्रम का अभिलेख या साक्ष्य

वित्तीय लेनदार, संहिता की धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए व्यतिक्रम का निम्नलिखित में से कोई अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) की धारा 2 के खंड (3) में यथा-परिभाषित बैककार की बही में सुसंगत लेखे में की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति;
- (ख) किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण का कोई आदेश, जिसने किसी ऋण के अप्रतिदाय के संबंध में न्यायनिर्णयन किया है और जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की अवधि का अवसान हो गया है।]

⁹[2ख. प्रचालन लेनदार द्वारा संव्यवहार, ऋण और व्यतिक्रम (चूक) का अभिलेख या साक्ष्य - प्रचालन लेनदार, धारा 9 के अधीन आवेदन के साथ, माल और सेवा-कर से संबंधित सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन

⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.024, दिनांकित 06-02-2018 दवारा प्रतिस्थापित ।

⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{8}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.066, दिनांकित 13-11-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

फाइल किए गए प्ररूप जी.एस.टी.आर.-1 और प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3बी के सुसंगत उद्धरणों की प्रतियां और, जहां कहीं भी लागू हो, ई-वे बिल की प्रति देगा:

परन्तु इस विनियम के उपबंध उन प्रचालन लेनदारों को, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं है और उन माल और सेवाओं को, जो माल और सेवा-कर से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं, लागू नहीं होंगे।

[2ग. आवेदन के साथ जानकारी का प्रस्तुत किया जाना - वित्तीय लेनदार या प्रचालन लेनदार, यथास्थिति, धारा 7 या धारा 9 के अधीन आवेदन फाइल करते समय, अपने -

- (क) स्थायी खाता संख्यांक; और
- (ख) ईमेल-आई.डी.

के ब्यौरे भी प्रस्तुत करेगा ।]

अध्याय-॥

सामान्य

3. समाधान व्यावसायिक के लिए पात्रता

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक किसी कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए ¹⁰[यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक] के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा यदि उस, दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसमें वह और अन्य कोई भागीदार या निदेशक है उसका कारपोरेट ऋणी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है।

स्पष्टीकरण:- किसी दिवाला व्यावसायिक को कारपोरेट ऋणई से स्वतंत्र माना जाएगा, यदि वहः

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारपोरेट ऋणी, यदि कारपोरेट ऋणी एक कंपनी है, के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में निय्क्ति के लिए पात्र हो;
- (ख) कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष न हो; या
- (ग) कोई कर्मचारी या मालिक या भागीदार न हो;
- (i) लेखापरीक्षक या व्यावसायरत ¹¹[सचिवीय लेखापरीक्षक] या कारपोरेट ऋणी के लागत लेखापरीक्षकों की फर्म का; या

¹⁰ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (ii) किसी कानूनी या परामर्शी फर्म का जिसने उस फर्म के कुल आवर्त के ¹²[पांच प्रतिशत] तक या इससे अधिक राशि का कोई संव्यवहार कारपोरेट ऋणी के साथ किया है या किया था, पिछले तीन वर्षों में।
- ¹³[(1क) जहां सिमिति अंतिरम समाधान व्यावसायिक को समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त करने या धारा 22 के अधीन अंतिरम समाधान व्यावसायिक को प्रतिस्थापित करने या धारा 27 के अधीन समाधान व्यावसायिक को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय करती है वहां वह प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक से ¹⁴[अन्सूची-l] के प्ररूपकक में लिखित सहमित प्राप्त करेगी ।]
- (2) ¹⁵[यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक] अपनी नियुक्ति के समय और उसके बाद आचार संहिता के अनुसरण में प्रकटीकरण करेगा।
- ¹⁶[(3) कोई अंतरिम समाधान व्यावसायिक या कोई समाधान व्यावसायिक, जो किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का निदेशक या भागीदार है, किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य जारी नहीं रखेगा यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था या ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई अन्य भागीदार या निदेशक उसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में किसी अन्य हितधारक का प्रतिनिधित्व करता है ।]

4. बही खातों की उपलब्धता

- (1) धारा 17(2)(घ) के होते हुए भी ¹⁷[यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक] संहिता के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जहां तक प्रासंगिक हो, कारपोरेट ऋणी की लेखाबही, रिकार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज एवं सूचना प्राप्त कर सकता है जो निम्नलिखित के पास हो -
 - (क) प्रतिभूतियों के न्यासी;
 - (ख) कारपोरेट ऋणी के व्यावसायिक परामर्शदाता;
 - (ग) इंफॉरमेशन यूटिलिटी;
 - (घ) अन्य रजिस्ट्री जो आस्तियों के स्वामित्व का रिकार्ड रखती है;
 - (ङ) कारपोरेट ऋणी के सदस्य, संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक बोर्ड, संयुक्त उद्यम भागीदार; तथा

¹³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{16}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (च) कारपोरेट ऋणी के संविदात्मक प्रतिपक्ष।
- ¹⁸[(2) कारपोरेट ऋणी के कार्मिक, उसके संप्रवर्तक या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, यह जानकारी ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में प्रदान करेगा, जैसा कि, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावस्थिक दवारा ईप्सा की जाए ।
- (3) लेनदार, यथास्थिति अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट से कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और उसके दायित्वों की बाबत जानकारी, स्टॉक विवरणी, प्राप्य संबंधी विवरणी, संपत्तियों की निरीक्षण रिपोर्टों, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, स्टॉक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, हक जांच रिपोर्ट, तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट, बैंक खाता विवरणी और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करेगा, जो अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के लिए सूचना ज्ञापन तैयार करने, मूल्यांकन का अवधारण कराने या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने में सहायक होगी ।]

¹⁹[4क. प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन

- (1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की लेखा-बिहयों और अन्य सुसंगत अभिलेखों की परीक्षा करने पर लेनदारों के वर्ग(वर्गों), यदि कोई हैं, को अभिनिश्चित करेगा ।
- (2) अंतरिम समाधान व्यावसायिक,समिति में उप-विनियम (1) के अधीन अभिनिश्चित किसी वर्ग में लेनदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिएऐसे तीन दिवाला व्यावसायिकों की पहचान करेगा जो,-
 - (क) उसके नातेदार या संबद्ध पक्षकार नहीं हैं;

²⁰[(कक) जिनके बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पते, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में हैं, जिसमें कारपोरेट ऋणी के अभिलेखों में लेनदारों के पतों के अनुसार उस वर्ग के लेनदारों की संख्या उच्चतर है:

परन्तु जहां ऐसे राज्य या संघ-राज्यक्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दिवाला व्यावसायिक नहीं है, वहां ऐसे दिवाला व्यावसायिकों पर विचार किया जाएगा जिनके पते समीपस्थ, यथास्थिति, राज्य या संघ-राज्यक्षेत्र में हैं]

- (ख) विनियम 3 के अधीन ²¹[समाधान व्यावसायिक] होने के पात्र हैं; और
- (ग) उस वर्ग में वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के इच्छ्क हैं।

¹⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

²⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-121/जी.एन./आर. ई. जी.064, दिनांकित 07-08-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

²¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (2) के अधीन पहचान किए गए प्रत्येक दिवाला व्यावसायिक से उस वर्ग के लेनदारों के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ²²[अनुसूची-l] के प्ररूपकख में सहमित प्राप्त करेगा ।]

²³[4ख. कारपोरेट ऋणी के नाम और पते में परिवर्तन का प्रकटन

जहां किसी कारपोरेट ऋणी ने दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान अपने नाम, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय पते में परिवर्तन किया है वहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, प्रत्येक संसूचना, अभिलेख, कार्यवाही या किसी अन्य दस्तावेज़ में चालू नाम और रिजस्ट्रीकृत कार्यालय पते के साथ-साथ, इस प्रकार परिवर्तित सभी पूर्ववर्ती नाम(नामों) और रिजस्ट्रीकृत पते(पतो) को प्रकट करेगा ।]

²⁴[4ग. प्रक्रिया ई-मेल

- (1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक एक ईमेल खाता खोलेगा और हितधारकों के साथ समस्त पत्र-व्यवहार में इसका प्रयोग करेगा तथा किसी समाधान व्यावसायिक द्वारा उसके प्रतिस्थापन की दशा में, ईमेल के प्रत्यय-पत्र उसे सौंपेगा ।
 - (2) समाधान व्यावसायिक, किसी अन्य समाधान व्यावसायिक या किसी समापक द्वारा उसके प्रतिस्थापन की दशा में, ईमेल के प्रत्यय-पत्र, यथास्थिति उस अन्य समाधान व्यावसायिक या समापन को सौंपेगा ।]

5. अध्यधिक ऋण संव्यवहार

धारा 50(1) के अधीन कोई संव्यवहार अतिशय माना जाएगा जहां यदि उसके लिए –

- (1) कारपोरेट ऋणी को उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अत्यधिक भुगतान करना अपेक्षित हो; या
- (2) संविदा से संबंधित कानून के सिद्धांतों के अधीन अंत:करण विरूद्ध हो।

अध्याय-॥

सार्वजनिक घोषणा

6. सार्वजनिक घोषणा

²² अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

²³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

²⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक अपनी नियुक्ति होने के तत्काल बाद एक अस्थायी समाधान व्यावसायिक के रूप में सार्वजनिक घोषणा करेगा।

स्पष्टीकरण:- 'तत्काल' का अर्थ है जो उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन दिन से अधिक न हो।

- (2) सार्वजनिक घोषणा विनियमन (1) से संदर्भित:
 - (क) ²⁵[अन्सूची-l] के प्ररूप क में;
 - (ख) प्रकाशित की जाएगी -
 - (i) उस स्थान पर जहां कारपोरेट ऋणी का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो स्थित है और अन्य कोई स्थान जो अस्थायी समाधान व्यावसायिक के विचार से ऐसा है जहां कारपोरेट ऋणी महत्वपूर्ण व्यापार कार्यकलाप कर रहा है, में व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक प्रांतीय भाषा के समाचार पत्र में:
 - (ii) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर; और
 - (iii) बोर्ड दवारा नामित वेबसाइट, यदि हो, पर,

²⁶[(खक) यह कथन होगा कि दावे के प्ररूप कहां से यथास्थिति, डाउनलोड या अभिप्राप्त किए जा सकते हैं;

- (खख) विनियम 4क के अधीन पहचान किए गए तीन दिवाला व्यावसायिकों की प्रत्येक वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चयन की प्रस्थापना होगी; और" ।]
- (ग) दावे के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दी जाए जो अस्थायी समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख से चौदह दिन होगी।
- (3) आवेदक सार्वजनिक घोषणा का खर्च वहन करेगा जिसकी प्रतिपूर्ति समिति द्वारा जहां तक समर्थित हो, की जाएगी।

²⁷[***]

28[6क. लेनदारों को संसूचना

²⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[्]र ²⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

²⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा लोप किया गया ।

²⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

अंतरिम समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की हाल ही की उपलब्ध लेखा-बहियों के अनुसार सभी लेनदारों को डाक या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से, जहां कहीं भी संसूचना के लिए जानकारी उपलब्ध है, विनियम 6 के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा की प्रति सहित एक संसूचना भेजेगा:

परन्तु जहां लेनदारों को संसूचना भेजना संभव न हो वहां विनियम 6 के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणाऐसे लेनदारों को संसूचित की गई समझी जाएगी ।]

अध्याय-IV

दावों का प्रमाण

7. परिचालन लेनदारों के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी के श्रमिक या कर्मचारी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति जो परिचालन लेनदार होने का दावा करता है, ²⁹[सबूत सहित अपना दावा] अस्थायी समाधान व्यावसायिक को ³⁰[अनुसूची-l] के प्ररूप ख में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा:

परंतु कि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

- (2) इस विनियमन के अधीन परिचालन लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है -
- (क) इंफॉरमेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड; या
- (ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -
 - (i) कारपोरेट ऋणी के साथ वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के लिए की गई संविदा;
 - (ii) कारपोरेट ऋणी को दी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाला बिल;
 - (iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है;
 - (iv) वित्तीय लेखा।

²⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{30}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³¹[(v) माल और सेवा-कर से संबंधित सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए प्ररूप जी.एस.टी.आर.-1 और प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3बी के उद्धरणों की प्रतियां और, जहां कहीं भी लागू हो, ई-वे बिल की प्रति:

परन्तु इस विनियम के उपबंध उन लेनदारों को, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं है और उन माल और सेवाओं को, जो माल और सेवा-कर से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं, लागू नहीं होंगे ।]

8. वित्तीय लेनदारों के दावे

(1) ³²[लेनदारों के किसी वर्ग से संबंधित किसी वित्तीय लेनदार से भिन्न वित्तीय लेनदार] के रूप में दावा करने वाला व्यक्ति ³³[अनुसूची-l] के प्ररूप ग में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अस्थायी समाधान व्यावसायिक को दावे का प्रमाण प्रस्त्त करेगा:

परंतु कि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्त्त करेगा।

- (2) इस विनियमन के अधीन वितीय लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है -
 - (क) इंफॉरमेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड; या
 - (ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -
 - (i) ऋण के प्रमाण के रूप में वित्तीय कथन द्वारा समर्थित वितीय संविदा;
 - (ii) एक रिकार्ड जिसमें यह प्रमाण हो कि वितीय लेनदार द्वारा किसी सुविधा के अधीन कारपोरेट ऋणी को वचन दी गई राशि कारपोरेट ऋणी ने आहरित कर ली है;
 - (iii) वितीय कथन जिसमें यह दर्शाया गया हो कि ऋण ³⁴[संदत्त] नहीं किया गया है; या
 - (iv) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

³⁵[8क. **किसी वर्ग में लेनदारों द्वारा दावे**

³¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

³² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

- "(1) ऐसा व्यक्ति, जो किसी वर्ग में कोई लेनदार होने का दावा करता है,अंतरिम समाधान व्यावसायिक को इलैक्टानिक रूप में ³⁶[अन्सूची-l] के प्ररूपगक में सबूत सहित दावा प्रस्त्त करेगा ।
- (2) किसी वर्ग में लेनदार को देय ऋण की विद्यमानता निम्नलिखित के आधार पर साबित की जा सकेगी -
 - (क) किसी इन्फामेशन यूटिलिटी के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई है; या
 - (ख) अन्य स्संगत दस्तावेज़, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई है-
 - (i) विक्रय करार;
 - (ii) आबंटन पत्र;
 - (iii) किए गए संदाय की रसीद; या
 - (iv) ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़, जिसमें ऋण की विद्यमानता का साक्ष्य मिलता हो।
- (3) किसी वर्ग में कोई लेनदार, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा में दिए गए तीन विकल्पों में से अपनीपसन्दउपदर्शित कर सकेगा।]

9. श्रमिकों और कर्मचारियों के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति [अनुसूची-l] के प्ररूप घ में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अस्थायी समाधान व्यावसायिक को ³⁷[सबूत सहित दावा] प्रस्तुत करेगा -

परंतु कि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में स्वयं या अंतरिम समधान व्यावसायिक द्वारा यथापेक्षित अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

- (2) यदि कारपोरेट ऋणी के बहुत से श्रमिकों या कर्मचारियों की राशि बकाया है तो उनकी ओर से ऐसी समस्त बकाया राशि के लिए कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि ³⁸[सबूत सहित दावा] [अनुसूची-l] के प्ररूप ड. में प्रस्तुत करेगा।
- (3) श्रमिकों या कर्मचारियों की बकाया राशि का प्रमाण उनके द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से निम्नलिखित के आधार पर दिया जाएगा -
 - (क) इंफॉरमेशन यूटिलिटी, के पास उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या
 - (ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं
 - (i) नियुक्ति का प्रमाण जैसे कि उस अविध के लिए नियुक्ति की संविदा जिसके लिए वह श्रमिक या कर्मचारी बकाया राशि का दावा कर रहा है;

³⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (ii) भुगतान न की गई राशि के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस और अन्य कोई दस्तावेज या प्रमाण की वह भुगतान नहीं किया गया है; या
- (iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

³⁹[9 क. अन्य लेनदारों द्वारा दावे.

- (1) ⁴⁰[विनियम 7, 8, 8क या 9] के अंतर्गत आने वाले लेनदारों से भिन्न, ऐसा व्यक्ति, जो लेनदार होने का दावा कर रहा है, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से ⁴¹[अनुसूची-l] के प्ररूप च में ⁴²[सबूत सहित अपना दावा] प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्टि लेनदार के दावे के अस्तित्व को निम्नलिखित आधार पर साबित किया जा सकेगा-
 - (क) किसी सूचना उपयोगिता (इन्फामेशन यूटिलिटी), यदि कोई है, में उपलब्ध अभिलेख; या
 - (ख) ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेज़, जो दावे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या सभी आते हैं-
 - (i) दावे की तृष्टि की मांग करने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य;
 - (ii) लेनदार की बैंक विवरणियां, जिनसे यह दर्शित होता हो कि दावे की त्ष्टि नहीं की गई है;
 - (iii) उस न्यायालय या अधिकरण का आदेश , जिसने दावे की तुष्टि ने होने पर न्यायनिर्णयन किया है, यदि कोई है।]

10. दावे प्रमाणित करना

अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो किसी लेनदार के पूरेदावे या उसके किसी भाग को प्रमाणित करने के लिए उस लेनदार से यथापेक्षित कोई अन्य प्रमाण या स्पष्टीकरण मांग सकता है।

11. प्रमाण की लागत

किसी लेनदार के बकाया ऋण का प्रमाण देने की लागत उस लेनदार द्वारा वहन की जाएगी।

12. दावों के प्रमाण प्रस्तुत करना

³⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.013, दिनांकित 16-08-2017 द्वारा अंतःस्थापित ।

 $^{^{40}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{42}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (1) उप-विनियमन (2) के अधीन कोई लेनदार सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले अपने ⁴³[सबूत सहित दावा] प्रस्त्त करेगा।
- ⁴⁴[(2) ऐसा लेनदार, जो कि सार्वजनिक उद्घोषणा में अनुबद्ध समय के भीतर सबूत सिहत दावा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन या उससे पूर्व यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को सबूत सिहत दावा प्रस्तुत कर सकेगा ।]
- (3) यदि उप-विनियम (2) में लेनदार ⁴⁵[विनियम 8 के अधीन वित्तीय लेनदार] है तो उसे उस दावे की स्वीकृति की तारीख से समिति में शामिल किया जाएगा:

परंतु कि इस प्रकार शामिल करने का इससे पहले समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

46[12क. दावे का अद्यतन किया जाना।

लेनदार, अपने दावे को, जैसे ही उस दावे की दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी स्रोत से किसी भी रीति में भागतः या पूर्णतः त्ष्ट हो जाती है, अद्यतन करेगा ।]

13. दावों का सत्यापन

(1) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख को दावे प्राप्त होने की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा और इसके बाद लेनदारों की एक सूची रखेगा जिसमें लेनदारों के नाम के साथ-साथ उनके द्वारा दावा की राशि, दर्ज दावों की राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि हों, तो शामिल होंगे तथा उसे अद्यतन करेगा।

(2) लेनदारों की सूची -

(क) उन व्यक्तियों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया है;

⁴³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴⁶ अधिसूचना सं आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.070, दिनांकित 15-03-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (ख) कारपोरेट ऋणी के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटी दाता ⁴⁷[या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों] द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी;
- (ग) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर रखी जाएगी;

⁴⁸[(गक) बोर्ड के इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर, उसकी बैवसाइट पर प्रसारण के लिए फाइल की जाएगी: परन्तु यह खंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होगा;]

- (घ) निर्णायक अधिकारी के पास फाइल की जाएगी; और
- (ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

14. दावे की राशि निर्धारित करना

- (1) यदि लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता या अन्य कारण से स्पष्ट न हो, तो अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दावे की राशि का सर्वोत्तम ढंग से अन्मान लगाएगा।
- (2) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उप-विनियमन (1) के अधीन किए गए दावों के अनुमान सिहत स्वीकृत दावों की राशि यदि उसे कोई अतिरिक्त ऐसी सूचना मिले जिसके लिए संशोधन अपेक्षित हो, तो जब भी व्यवहार्य हो, इसे संशोधित करेगा।

15. विदेशी मुद्रा में ऋण

विदेशी मुद्रा में आकलित दावों का मूल्य शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख को सरकारी विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- "सरकारी विनिमय दर" भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ पर या इस संदर्भ दर से प्राप्त की गई दर है।

अध्याय-V

लेनदारों की समिति

16. केवल परिचालय लेनदारों वाली समिति

⁴⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.066, दिनांकित 13-11-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (1) यदि कारपोरेट ऋणी का कोई वित्ती ऋण न हो या यदि सभी वित्तीय लेनदार कारपोरेट ऋणी के संबंधित पक्ष हों, तो समिति का गठन इस विनियमन के अनुसरण में किया जाएगा।
- (2) इस विनियमन के अधीन गठित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे -
 - (क) मूल्य के आधार पर सबसे बड़े अठारह परिचालन लेनदार :

परंतु कि यदि परिचालन लेनदारों की संख्या अठारह से कम तो समिति में ऐसे सभी लेनदार शामिल होंगे।

- (ख) उप खंड (क) के अधीन शामिल श्रमिकों को छोड़कर सभी श्रमिकों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि; और
- (ग) उप खंड (क) के अधीन शामिल कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि।
- (3) इस विनियमन के अधीन गठित समिति के सदस्य को कुल ऋण में उस लेनदार के बकाया ऋण के अनुपात में या ऐसे प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे ऋण, जैसा भी हो के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, 'कुल ऋण' निम्नलिखित का योग है -

- (क) उपखंड 2(क) में सूचीबद्ध लेनदारों के बकाया ऋण की राशि;
- (ख) उपखंड 2(ख) के अधीन श्रमिकों के बकाया कुल ऋण की राशि; और
- (ग) उपखंड 2(ग) के अधीन कर्मचारियों के बकाया कुल ऋण की राशि।
- (4) इस विनियमन के अधीन गठित समिति और इसके सदस्यों के वही अधिकार, शक्तियां, दायित्व और बाध्यताएं होंगी जैसा कि वितीय लेनदारों और इसके सदस्यों, जैसा भी हो, की समिति के हैं।

⁴⁹[16क. प्राधिकृत प्रतिनिधि

(1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक,ऐसे दिवाला व्यावसायिक का, जो विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त प्ररूपगक में किसी वर्ग में वितीय लेनदारों की अधिकतम संख्या की पसन्द है, संबंधित वर्ग के लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चयन करेगा:

परन्तु विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त प्ररूपगक में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी दिवाला व्यावसायिक के लिए पसन्दपर विचार नहीं किया जाएगा ।

⁴⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (2) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त दावों के सत्यापन के दो दिन के भीतर उप-विनियम (1) के अधीन चयनित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिएन्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
- (3)लेनदारों के किसी वर्ग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति में विलंब होने से समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की विधिमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (4) अंतरिम समाधान व्यावसायिक,न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की सूची उपलब्ध कराएगा ।
- (5) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा, जैसे ही वह सूची अद्यतन की जाती है। स्पष्टीकरण: प्राधिकृत प्रतिनिधि की उस वर्ग के, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, लेनदारों के दावों की प्राप्ति या सत्यापन में कोई भूमिका नहीं होगी।
- (6) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, प्राधिकृत प्रतिनिधि और उस वर्ग के लेनदारों के बीच संचार के इलैक्ट्रानिक माध्यम उपलब्ध कराएगा ।
- (7) किसी वर्ग में किसी लेनदार का मतदान अंशवितीय ऋण के अनुपात में होगा जिसमें आठ प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज शामिल है जब तक किपक्षकारों के बीच इससे भिन्न दर पर सहमति न हुई हो ।
- (8) किसी वर्ग में लेनदारों का प्राधिकृत प्रतिनिधि, समिति की ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए, जिसमें वह उपस्थित होता है, निम्नलिखित रीति में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

वर्ग में लेनदारों की संख्या	समिति की प्रत्येक बैठक के लिए फीस (रुपयों में)
10-100	15,000
101-1000	20,000
1000 से अधिक	25,000

⁵⁰[(9) प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यसूची को, एक वर्ग के लेनदारों को परिचालित करेगा और समिति की बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने हेतु कार्यसूची की किसी भी मद पर उनके प्रारंभिक विचारों की ईप्सा कर सकेगा:

परन्तु लेनदारों को अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत करने के लिए कम से कम बारह घंटे की समय विंडो प्राप्त होगी और उक्त विंडो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रारंभिक विचारों की ईप्सा करने के कम से कम चौबीस घंटे पश्चात् खुलेगी:

परन्तु यह और कि ऐसे प्रारंभिक विचारों को लेनदारों द्वारा दिए गए मतदान अनुदेशों के रूप नहीं समझा जाएगा ।]

⁵⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.064, दिनांकित 07-08-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

16ख. किसी वर्ग मेंकेवल लेनदारों की समिति

जहां कारपोरेट ऋणी में केवल किसी वर्ग के लेनदार हैं और कोई अन्य वितीय लेनदार समिति में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं है वहां समिति में केवल प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा ।]

17. ⁵¹[समिति का गठन

- (1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त दावों के सत्यापन के दो दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समिति का गठन प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट फाइल करेगा।
- ⁵²[(1क) समिति और समिति के सदस्य, संहिता और इन विनियमों के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग उन दिशानिर्देशों के अनुपालन में करेंगे, जो बोर्ड द्वारा जारी किए जाएं ।]
- (2) समिति की पहली बैठक इस विनियम के अधीन रिपोर्ट फाइल किए जाने के सात दिन के भीतर आयोजित की जाएगी।
- (3) जहां समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति में विलंब होता है वहां अंतरिम समाधान व्यावसायिक,दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने के चालीसवें दिन से तब तक समाधान व्यावसायिक के कृत्यों का पालन करेगा जब तक धारा 22 के अधीन समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति नहीं हो जाती है]।

अध्याय VI

समिति की बैठकें

53[18. सिमति की बैठकें

(1) कोई समाधान व्यावसायिक, जब भी आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुला सकेगा ।

⁵¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁵² अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./078, दिनांकित 30.09-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁵³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./080, दिनांकित 09-02-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) कोई समाधान व्यावसायिक, यदि वह आवश्यक समझता है, समिति के सदस्यों से प्राप्त अनुरोध पर बैठक बुला सकेगा और यदि कम से कम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा ऐसा अन्रोध किया जाता है तो बैठक बुलाएगा ।

⁵⁴[स्पष्टीकरण: उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के अधीन बैठक (बैठकें) तब तक आयोजित की सकेगी जब तक धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता या धारा 33 के अधीन समापन के लिए आदेश पारित नहीं कर दिया जाता और उन विषयों के संबंध में विनिश्चय किया जा सकेगा जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई समाधान योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते ।] (3) कोई समाधान व्यावसायिक, यदि वह आवश्यक समझे, समिति के सदस्यों से प्राप्त कोई प्रस्थापना किसी बैठक में रख सकेगा और यदि कम से कम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति के सदस्यों द्वारा ऐसी प्रस्थापना की जाती है तो उस प्रस्थापना को रखेगा ।]

- 19. ⁵⁵[19(1) इस विनियम के अधीन रहते हुए, सिमिति की कोई बैठक प्रत्येक भागीदार को उस पते पर, जो उसने ⁵⁶[यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक] को उपलब्ध कराया है, लिखित में कम से कम पांच दिन की सूचना देकर बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती या डाक द्वारा भेजी जाएगी किन्तु हर हालत में प्रत्येक भागीदार को उसकी तामील विनियम 20 के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम दवारा की जाएगी।
 - (2) समिति सूचना देने की अविध को पांच दिन से कम से कम चौबीस घंटे की ऐसी अन्य अविध तक घटा सकेगी, जो वह उपयुक्त समझे:

परन्तु समिति उस अविध को कम से कम अइतालीस घंटे की ऐसी अन्य अविध तक घटा सकेगी, यदि उसमें कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि है ।]

20. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा सूचना देना

(1) भागीदारों को एक टैक्स्ट के रूप में ई-मेल द्वारा कोई सूचना देना या ई-मेल के संलग्नक के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक लिंक देते हुए किसी अधिसूचना के रूप में या ऐसी सूचना को प्राप्त करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सूचना देना।

⁵⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁵⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁵⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (2) ई-मेल में विषय की पंक्ति में कारपोरेट ऋणी, स्थान, यदि कोई है तो, समय और बैठक के लिए निर्धारित तारीख का उल्लेख किया जाएगा।
- (3) यदि सूचना ई-मेल के संशोधन नहीं करने योग्य किसी संलग्नक के रूप में भेजी गई है तो ऐसा संलग्नक सॉफ्टवेयर के संबंधित वर्जन को डाउनलोड करने के लिए प्राप्तकर्ताओं हेतु 'लिंक या दिशानिदेश' सहित पोर्टेबल डॉक्य्मेंट फार्मेट या नॉन- एडिटेबल फॉर्मेट में होगा।
- (4) यदि सूचना या सूचना उपलब्ध करवाने वाली अधिसूचनाएं ई-मेल द्वारा भेजी जाती हैं तो समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि यह एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है जो ई-मेल भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या की पुष्टि करती है और सूचना भेजे गए प्रत्येक प्राप्तकर्ता का एक रिकॉर्ड और ऐसे रिकॉर्ड की प्रति और किसी असफल प्रेषण की कोई सूचना और फिर पुनः प्रेषण को "भेजने के सब्त" के रूप में रखा जाएगा।
- (5) समाधान व्यावसायिक की ई-मेल भेजता की बाध्यता की तुष्टि की जाएगी और उसके नियंत्रण से परे, यदि प्रेषण नहीं होता है तो वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- (6) इलेक्ट्रॉनिक लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध सूचना पठनीय होगी और प्राप्तकर्ता उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है और रख सकता है तथा समाधान व्यावसयिक पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेबसाइट का पता देगा और दस्तावेज या सूचना को किस प्रकार प्राप्त करनी है इसका पूरा विवरण देगा।
- (7) यदि समिति के किसी सदस्य के अतिरिक्त, कोई प्रतिभागी समाधान व्यावसायिक को संबंधित ई-मेल पता प्रदान करने में असफल रहता है तो किसी भी बैठक में ऐसे प्रतिभागी द्वारा ऐसी सूचना की पावती प्राप्त नहीं करने से ऐसी बैठक में लिए गए निर्णयों को अमान्य नहीं कर सकेगा।

21. बैठक के लिए सूचना का सारांश

- (1) सूचना में बैठक के स्थान, समय और बैठक की तारीख के बारे में तथा उनके पास उपलब्ध वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रद्य साधनों के माध्यम भाग लेने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रद्य साधनों के माध्यम से भाग लेने की समस्त आवश्यक सूचना होगी।
- (2) बैठक की सूचना में बताया जाएगा कि कोई प्रतिभागी बैठक में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और मतदान कर सकता है :
 - परंतु कि ऐसा प्रतिभागी बैठक से पूर्व समाधान व्यावसायिक को प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो बैठक में उसके स्थान पर उपस्थित होगा और मतदान करेगा, की पहचान बताएगा।

- ⁵⁷[(3) बैठक की सूचना में, निम्नलिखित सहित बैठक की कार्यसूची होगी -
 - (i) उन विषयों की सूची, जिनके संबंध में बैठक में विचार किया जाना है;
 - (ii) उन मुद्दों की सूची, जिनके संबंध में बैठक में मतदान किया जाना है; और
 - (iii) उन समस्त दस्तावेज़ों की प्रतियां, जो बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों और मतदान किए जाने वाले मुद्दों से सुसंगत हैं ।]

(4) बैठक की सूचना में :

- (क) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति तथा निर्धारित समय और उस समयावधि का उल्लेख करेगा जिसके दौरान मतदान किया जाएगा:
- (ख) लॉग-इन आईडी प्रदान करना और पासवर्ड जेनरेट करने के लिए किसी सुविधा का और स्रक्षा रखने तथा स्रक्षित तरीके से मतदान करने का विवरण होगा;
- (ग) उस व्यक्ति के संपर्क का विवरण होगा जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित शंकाएं दूर करेगा।

22. बैठक का कोरम

(1) किसी बैठक का कोरम तभी पूरा माना जाएगा यदि समिति में मतदान के अधिकार के न्यूनतम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार प्राप्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों से उपस्थित हैं:

परंतु कि समिति की किन्हीं भविष्य की बैठकों के संबंध में कोरम के लिए अपेक्षित मतदान के अधिकार के प्रतिशत में समिति संशोधन कर सकती है।

- (2) यदि समिति की कोई बैठक कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं हो सकती और समिति ने पूर्व में कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया है तो बैठक स्वतः ही अगले दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थिगित मानी जाएगी।
- (3) यदि समिति की कोई बैठक उप-विनियम (2) के अनुसरण में स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक का कोरम बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के अनुसार होगा।

23. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेना :

(1) समिति की बैठकों के बारे में सूचना इस विनियम के अनुसरण में वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों द्वारा बैठक में उपस्थित होने का एक विकल्प होगा।

⁵⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.032, दिनांकित 05-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (2) समाधान व्यावसायिक बाधा रहित और स्पष्ट वीडियो या श्रव्य और दृश्य संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- (3) समाधान व्यावसायिक निम्नलिखित सही और उचित ध्यान रखेगा -
 - (क) पर्याप्त सुरक्षा और पहचान कार्यवाही को सुनिश्चित करते हुए बैठक की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना;
 - (ख) बैठक में प्रतिभागियों की प्रभावी भागीदारी के लिए उचित वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य उपकरणों की उपलब्धता या संवादों के संप्रेषण के लिए स्विधाओं को स्निश्चित करना;
 - (ग) कार्यवाही को रिकॉर्ड करना और बैठक के कार्यवृत्तों को तैयार करना;
 - (घ) सुरक्षा के लिए भंडारण करना और कारपोरेट ऋणी के रिकॉर्ड के रूप में भौतिक रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग तंत्र को चिहिनत करना;
 - (ड) सुनिश्चित करना कि नियत प्रतिभागियों अलावा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है और वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से बैठक की कार्यवाही नहीं देख रहा है; और
 - (च) सुनिश्चित करना कि बैठक में श्रव्य और दृश्य साधनों से उपस्थित प्रतिभागी बैठक के दौरान अन्य प्रतिभागियों को स्नने और देखने, यदि लागू है तो, में समर्थ हैं:

परंतु कि ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं बैठक में अपने साथ एक व्यक्ति को लाने की अनुमति के लिए समाधान व्यावसायिक से अन्रोध कर सकते हैं।

(4) यदि बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से आयोजित की जाती है तो बैठक की सूचना में बताए गए बैठक के निर्धारित स्थान, जो भारत में होगा, उक्त बैठक का स्थान माना जाएगा और बैठक की कार्यवाहियों की समस्त रिकार्डिंग ऐसे स्थान पर की गई, मानी जाएगी।

24. बैठक का आयोजन

- (1) समाधान व्यावसायिक समिति की बैठक के सभापति के रूप में कार्य करेगा।
- (2) किसी बैठक के आरंभ में समाधान व्यावसायिक हाजिरी जब वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति रिकार्ड के लिए निम्नलिखित बताएगा, अर्थात् :
 - (क) उसका नाम
 - (ख) क्या वह समिति के किसी सदस्य या अन्य किसी प्रतिभागी की क्षमता से उपस्थित है,
 - (ग) क्या वह किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है,
 - (घ) वह स्थान जहां से वह भाग ले रहा है;

- (ङ) कि उसने पास बैठक के लिए कार्यसूची और संबंधित समस्त समाग्री है; और
- (च) उस व्यक्ति के स्थान से उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है और बैठक की कार्यवाही को नहीं देख रहा है।
- (3) हाजिरी के बाद, समाधान व्यावसायिक बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों के नाम प्रतिभागियों को बताएगा और पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है।
- (4) समाधान व्यावसायिक स्निश्चित करेगा कि पूरी बैठक के दौरान अपेक्षित कोरम उपस्थित है।
- (5) बैठक के प्रारंभ होने से समापन तक प्रतिभागियों के अतिरिक्त और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति समाधान व्यावसायिक द्वारा अपेक्षित है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को समाधान व्यावसायिक की अनुमित के बिना उस स्थान पर आने की अनुमित नहीं दी जाएगी जहां बैठक आयोजिक की जा रही है या जिस स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य सुविधा है।
- (6) समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि समिति की प्रत्येक बैठक के संबंध में कार्यवृत्त बनाए गए हैं और उन कार्यवृत्तों में उन प्रतिभागियों के ब्यौरों का प्रकटीकरण होगा जो बैठक में व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कांफ्रेंसिंग, या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थित थे।
- (7) समाधान व्यावसायिक उक्त बैठक के अइतालीस घंटों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा सभी प्रतिभागियों को बैठक का कार्यवृत्त भेजेगा।

अध्याय VIII

समिति द्वारा मतदान

25. समिति द्वारा मतदान

- (1) धारा 28(1) में सूचीबद्ध कार्यों पर समिति की बैठकों में विचार किया जाएगा,
- (2) धारा 28(1) में सूचीबद्ध के अलावा किसी कार्य, जिसमें समिति का अनुमोदित अपेक्षित है, पर समिति की बैठक में विचार किया जा सकता है।
- (3) ⁵⁸[समाधान व्यावसायिक, ऐसी किसी मद पर जो उस पर चर्चा के पश्चात् मतदान के लिए सूचीबद्ध है, समिति के उपस्थित सदस्यों का मत लेगा ।]

⁵⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (4) बैठक में मतदान, समापन पर, समाधान व्यावसायिक समिति के सदस्यों, जिन्होंने निर्णय के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया या मतदान नहीं किया, के नामों सहित उन मदों की घोषणा करेगा जिन पर निर्णय लिया गया है।
- ⁵⁹[(5) समाधान व्यावसायिक -(क) बैठक की समाप्ति के अइतालीस घंटे के भीतर समिति के समस्त सदस्यों और प्राधिकृत प्रतिनिधि , यदि कोई, को इलैक्ट्रानिक माध्यमों से बैठक के कार्यवृत्त परिचालित करेगा;और
- (ख) ऐसे सदस्यों से, जिन्होंने बैठक में, मतदान के लिए सूचीबद्ध विषयों पर मतदान नहीं किया था, विनियम 26 के अनुसार इलैक्ट्रानिक मतदान पध्दित से मतदान की ईप्सा करेगा जहां कि मतदान, कार्यवृत्त के परिचालन से चौबीस घंटे के लिए खुला रखाजाएगा।
- (6) प्राधिकृत प्रतिनिधि, उप-विनियम (5) के अधीन प्राप्त बैठक के कार्यवृत्त को उस वर्ग के लेनदारों को परिचालित करेगा और मतदान अनुदेशों के लिए विंडो के खुलने के कम से कम चौबीस घंटे पूर्व मतदान विंडो की घोषणा करेगा और मतदान विंडो को कम से कम बारह घंटे के लिए खुला रखेगा ।]

60[25क प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

प्राधिकृत प्रतिनिधि, वित्तीय लेनदारों की ओर से या प्रत्येक वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, धारा 25क की उपधारा (3) तथा उपधारा (3क) के अनुसार मतदान करेगा ।]

26. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा मतदान

(1) समाधान व्यावसायिक समिति के प्रत्येक सदस्य को इलेक्ट्रानिक साधनों या इस विनियम के प्रावधानों के इलेक्टानिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान करने का प्रावधान करता है।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए -

- (क) "इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान" या "इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली" वाक्यांश से अभिप्राय इलेक्ट्रानिक बैलेट दिखाने, समिति के सदस्यों के मतों को रिकार्ड करने और पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की साक्ष्य रिकार्ड करने की एक 'सुरिक्षित प्रणाली' आधारित प्रक्रिया है जिससे इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किया गया मतदान रजिस्ट्रीकृत होता है और पर्याप्त 'साइबर सुरिक्षा' में एक केन्द्रीकृत सर्वा में इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में गणना होती है;
- (ख) "सुरिक्षित प्रणाली" वाक्यांश का अभिप्रया कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और प्रक्रिया है जो -

⁵⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.032, दिनांकित 05-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{60}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (i) अप्राधिकृत पह्ंच और दुष्प्रयोग से यथोचित बचाता है;
- (ii) विश्वसनीयता और सही संचालन का यथोचित स्तर प्रदान करता है;
- (iii) अपेक्षित कार्यों के निष्पादन के लिए यथोचित अनुकूल; और
- (iv) आमतौर पर स्वीकृत सुरक्षा कार्यवाहियों को जारी रखता है।

⁶¹[***]

- (2) ⁶²[***]
- (3) मतदान अवधि के समापन पर मतदान पोर्टल को त्रंत ब्लाक कर दिया जाएगा।
- (4) इस विनियम के तहत किसी मतदान के समापन पर समाधान व्यावसायिक प्रासंगिक कार्यसूची मद पर लिए गए निर्णय सारांश की घोषणा करेगा और लिखित रिकार्ड बनाएगा और साथ ही उन सदस्यों के नाम घोषित करेगा, जिन्होंने निर्णय के पक्ष में या विपक्ष में मतदान किया या मतदान नहीं किया।
- (5) समाधान व्यावसायिक उप-विनियम (4) के तहत मतदान समाप्ति के चौबीस घंटों के भीतर इलेक्टानिक साधनों द्वारा सभी प्रतिभागियों को किए गए रिकार्ड की एक प्रति भेजेगा।

अध्याय VIII

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

⁶³[27. व्यावसायिक की नियुक्ति

- (1) समाधान व्यावसायिक, अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर किन्तु दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से सैंतालीसवें दिन के अपश्चात्, विनियम 35 के अनुसार कारपोरेट ऋणी के ऋजु मूल्य और समापन मूल्य का अवधारण करने के लिए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा।
- (2) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत मूल्यांककों के अतिरिक्त, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता के लिए किसी व्यावसायिक को नियुक्त कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यावसायिक की सेवाएं अपेक्षित हैं और ऐसी सेवाएं कारपोरेट ऋणी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

⁶¹ अधिसूचना सं.सं.आई.बी.बी.आई/.2019-20/जी.एन/.आर.ई.जी/.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा लोप किया गया ।

 $^{^{62}}$ अधिसूचना सं.सं.आई.बी.बी.आई/.2018-19/जी.एन/.आर.ई.जी/.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा लोप किया गया ।

 $^{^{63}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, इस विनियम के अधीन किसी व्यावसायिक को निष्पक्ष रूप से एक वस्तुपरक और पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नियुक्त करेगा:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) समाधान व्यावसायिक का कोई नातेदार;
- (ख) कारपोरेट ऋणी का कोई नातेदार;
- (ग) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय कारपोरेट ऋणी का कोई लेखापरीक्षक;
- (घ) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई भागीदार या निदेशक, जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है।
- (4) इस विनियम के अधीन नियुक्त किए गए व्यावसायिक की फीस और उसके द्वारा उपगत अन्य व्यय के लिए बीजक व्यावसायिक के नाम में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका भुगतान सीधे ऐसे व्यावसायिक के बैंक खाते में किया जाएगा ।]

28. लेनदारों के बकाया ऋण का अंतरण

- (1) यदि कोई लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया अविध के दौरान ऐसे लेनदार के बकाया ऋण को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है या अंतरण करता है तो दोनों पक्ष ऐसे कार्य या अंतरण की शर्ते और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, को देंगे।
- (2) समाधान व्यावसायिक समिति में किसी परिणामी परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन से दो दिन के भीतर प्रत्येक प्रतिभागी और निर्णायक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

29. व्यापार के साधारण अनुक्रम से बाहर आस्तियों की बिक्री

(1) समाधान व्यावसायिक कारपोरेट ऋणी की भार रहित आस्ति(यों) को साधारण अनुक्रम के अतिरिक्त बेच सकता है, यदि उसका मानना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक बेहतर उगाही के लिए ऐसी बिक्री आवश्यक :

परंतु कि इस उप-विनियम के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अविध के दौरान बेची गई सभी आस्तियों का अंकित मूल्य अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा स्वीकृत कुल दावों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) इस विनियम के तहत आस्तियों की कोई बिक्री के लिए ⁶⁴[सदस्यों के मतदान अंश के छियासठ प्रतिशतमत द्वारा समिति का अनुमोदन] अपेक्षित होगा।

⁶⁴ अधिसूचना सं.सं.आई.बी.बी.आई/.2018-19/जी.एन/.आर.ई.जी/.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) इस विनियम के तहत बेची गई आस्तियों का एक वास्तिवक क्रेता के पास कारपोरेट ऋणी के सांविधिक दस्तावेजों, शेयरधारकों के समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते या इसी तरह के किसी दस्तावेज की शर्तों के बावजूद ऐसी आस्तियों का स्वतंत्र और विपण्य अधिकार होगा।

30. स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता

अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, संहिता या इन विनियमों के तहत अपने कर्तव्यों को करने में स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता मांगने के लिए आदेश हेतु निर्णायक प्राधिकारी को एक आवेदन कर सकता है।

⁶⁵[30क.**आवेदन का वापस लिया जाना** ।

- (1) धारा 12क के अधीन वापसी के लिए आवेदन, -
 - (क) समिति के गठन से पूर्व, आवेदक द्वारा अंतरिम समाधान व्यावसायिक के माध्यम से;
 - (ख) समिति के गठन के पश्चात्, आवेदक द्वारा, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के माध्यम से.

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किया जा सकेगा:

परन्तु जहां आवेदन खंड (ख) के अधीन, विनियम 36क के अधीन रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण जारी किए जाने के पश्चात् किया जाता है वहां आवेदक ऐसे आमंत्रण जारी किए जाने के पश्चात् वापसी को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों का कथन करेगा।

- (2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन ⁶⁶[अनुसूची-I] के प्ररूप चक में किया जाएगा और उसके साथ
- (क) विनियम 33 के प्रयोजनों के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या उसके द्वारा उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख तक उपगत अनुमानित व्यय मदधे; या
- (ख) विनियम 31 के खंड (कक), खंड (कख), खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख तक उपगत अनुमानित व्यय मद्धे,

बैंक गारंटी संलग्न की जाएगी।

(3) जहां वापसी के लिए कोई आवेदन उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन है वहां अंतरिम समाधान व्यावसायिक, उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

⁶⁵ अधिसूचना सं.सं.आई.बी.बी.आई/.2019-20/जी.एन/.आर.ई.जी/.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{66}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (4) जहां वापसी के लिए कोई आवेदन उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन है वहां समिति आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उस पर विचार करेगी ।
- (5) जहां उप-विनियम (4) के के संदर्भित आवेदन का समिति द्वारा नब्बे प्रतिशत मतदान अंश सिहत अनुमोदन कर दिया जाता है वहां समाधान व्यावसायिक, ऐसा आवेदन समिति के अनुमोदन सिहत, ऐसे अनुमोदन के तीन दिन के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उप-विनियम (3) या उप-विनियम (5) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को स्वीकृत कर सकेगा ।
- (7) जहां आवेदन को उप-विनियम (6) के अधीन स्वीकृत कर लिया जाता है वहां आवेदक उप-विनियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख तक, यथा-स्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक द्वारा यथा-अवधारित, उपगत वास्तविक व्यय मद्धे रकम, ऐसीस्वीकृत के तीन दिन के भीतर कारपोरेट ऋणी के बैंक खाते में जमा कराएगा जिसके न हो सकने पर, संहिता के अधीन आवेदक के विरुद्ध अनुज्ञेय किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त की गई बैंक गारंटी का अवलंब लिया जाएगा ।]

अध्याय IX

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतें

31. दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतें

धारा 5(13)(ड) के तहत "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों" का अभिप्राय होगा -

- (क) विनिमय 32 के तहत अनिवार्य वस्त्ओं और सेवाओं के प्रदायकों की बकाया राशियां;
- ⁶⁷[(कक) विनियम 16क के ⁶⁸[3प-विनियम (8)] के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय फीस;
- (कख) ⁶⁹[धारा 25क] के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके जेब खर्च में से;।]
- (ख) किसी व्यक्ति की बकाया राशियां, जिसके अधिकार धारा 14(1)(घ) के तहत लगाई गई रोक के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं;
- 70[(खक) विनियम 31क के अन्सार बोर्ड को संदेय फीस;]

⁶⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2018-19/जी.एन/.आर.ई.जी/.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁶⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2019-20/जी.एन/.आर.ई.जी/.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁶⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2019-20/जी.एन/.आर.ई.जी/.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁷⁰ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.096, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (ग) अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा विनियम 33 के तहत किसी हद तक पुष्टि किए गए व्यय;
- (घ) समाधान व्यावसायिक पर या दवारा किए गए विनियम 34 के तहत निर्धारित व्यय; और
- (इ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित और समिति द्वारा अनुमोदित अन्य लागतें।

⁷¹[31क. विनियामक फीस

(1) धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अधीन लेनदारों के वसूलनीय मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित विनियामक फीस बोर्ड को वहां संदेय होगी जहां ऐसा वसूलनीय मूल्य समापन मूल्य से अधिक है:

परन्तु यह उप-विनियम वहां लागू होगा जहां समाधान योजना का धारा 31 के अधीन अनुमोदन 1 अक्तूबर, 2022 को या उसके पश्चात् किया जाता है ।

⁷²[स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के अधीन विनियामक फीस ऐसे मामलों में संदेय नहीं होगी जहां किसी भू-संपदा परियोजना के दिवाला समाधान की बाबत अनुमोदित समाधान योजना, ऐसी भू-संपदा परियोजना में आबंटितियों के किसी संगम या समूह की ओर से है ।]

(2) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक द्वारा िकसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सहायता के लिए िकसी व्यावसायिक को नियोजित करने या अन्य सेवाओं की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत में बुक की जाने वाली लागत के एक प्रतिशत की दर पर संगणित विनियामक फीस, बोर्ड को, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (गख) में विनिर्दिष्ट रीति में संदेय होगी।

32. अनिवार्य प्रदाय

धारा 14(2) में उल्लिखित अनिवार्य वस्तुएं और सेवाओं से अभिप्राय-

- (1) विद्युत;
- (2) जल;
- (3) दूरसंचार सेवाएं ; और

⁷¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.096, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁷² अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2023-24/जी.एन/.आर.ई.जी102.., दिनांकित 20-07-2023 द्वारा अंतःस्थापित ।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, हैं।

उस सीमा तक जो कारपोरेट ऋणी के द्वारा उत्पादित, या प्रदाय किए गए परिणामों के लिए एक प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है।

उदाहरण - किसी कारपोरेट ऋणी को की गई जल आपूर्ति पीने और स्वच्छता के उद्देश्य के लिए अनिवार्य आपूर्ति होगी, और हाइड्रो-इलेक्ट्रिसटी बनाने के लिए नहीं।

33. अंतरिम समाधान व्यावसायिक की लागत

- (1) आवेदक अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या दवारा किए जाने वाले व्ययों को निर्धारित करेगा।
- (2) यदि आवेदक ने व्ययों का निर्धारण नहीं किया है तो उप-विनियम(1) के तहत निर्णायक प्राधिकारी व्ययों का निर्धारण करेगा।
- (3) आवेदन उन व्ययों का वहन करेगा जिनकी पुष्टि पर समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (4) सिमिति द्वारा पुष्टि किए गए व्ययों की राशि दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के रूप में मानी जाएगी।

 73[स्पष्टीकरण इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "व्यय" के अंतर्गत अंतरिम समाधान व्यावसायिक को संदत्त की जाने वाली फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्थाको, यदि कोई है, संदत्त की जाने वाली फीस और व्यावसायिकों को, यदि कोई हैं, संदत्त की जाने वाली फीस और अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य व्यय भी आते हैं।

34. समाधान व्यवसायिक लागतें

समिति समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा किए गए व्यय निर्धारित करेगी और इन व्ययों से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतें बनेंगी।

⁷⁴[स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "व्यय" के अंतर्गत समाधान व्यावसायिक को संदत्त की जाने वाली फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्थाको, यदि कोई है, संदत्त की जाने वाली फीस और व्यावसायिकों को, यदि कोई हैं, संदत्त की जाने वाली फीस और समाधान व्यावसायिक द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य व्यय भी आते हैं।]

⁷⁵[34क. लागत का प्रकटन - यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत को ऐसी रीति में, जैसी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए, मदवार प्रकट करेगा]

⁷³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2017-18/जी.एन/.आर.ई.जी/.030, दिनांकित 27-03-2018 दवारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{74}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2017-18/जी.एन/.आर.ई.जी/.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{75}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2017-18/जी.एन/.आर.ई.जी/.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁷⁶[34ख. अंतरिम समाधान व्यावसायिक और समाधान व्यावसायिक को संदत्त की जाने वाली फीस

- (1) विनियम 33 और 34 के तहत, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस, इस विनियम के अनुसार आवेदक या समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (2) 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके पश्चात नियुक्त किए गए अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस, अनुसूची-II के खंड 2 में विनिर्दिष्ट अविध के लिए खंड 1 में विनिर्दिष्ट फीस से कम नहीं होगी:

परन्तु आवदेक या समिति, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, बाजार के कारकों, जैसे कारपोरेट ऋणी के कारबार प्रचालनों के आकार और पैमाने, उस कारबार क्षेत्र को, जिसमें कारपोरेट ऋणी प्रचालन करता है, कारपोरेट ऋणी की आर्थिक गतिविधि का प्रचालन स्तर, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित जटिलताओं को विचार में रखते हुए फीस की विनिर्दिष्ट रकम से उच्चतर रकम नियत कर सकेगी।

- (3) अनुसूची-II के खंड 2 में उल्लिखित अविध की समाप्ति के पश्चात, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस आवेदक या समिति , जैसा भी मामला हो, द्वारा तय की जाएगी।
- (4) 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके पश्चात समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लिए, समिति अपने विवेकानुसार कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का भुगतान करने का निर्णय अनुसूची-॥ के खंड 3 और खंड 4 के अनुसार ले सकती है या यथाआवश्यक तरीके से कोई और कार्य- निष्पादन आधारित प्रोत्साहन संरचना लागू कर सकती है, बशर्ते यह फीस पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- (5) इस विनियम के तहत फीस का भुगतान कारपोरेट देनदार के पास उपलब्ध निधि से, आवेदक या सिमिति के सदस्यों के योगदान से और/या अंतरिम वित्त के माध्यम से एकत्र करके किया जा सकता है और इसे दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत में शामिल किया जाएगा।

अध्याय X

समाधान योजना

35. ⁷⁷[उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य.

(1) उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा;

⁷⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁷⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.024, दिनांकित 06-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) विनियम 27 के अधीन नियुक्त दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, निगमित ऋणी की संपत्ति-तालिका और नियत आस्तियों का सत्यापन करने के पश्चात् समाधान वृत्तिक को अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित उचित मूल्य का और परिसमापन मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे;

⁷⁸[(ख) यदि किसी आस्ति वर्ग में किसी मूल्य के दो प्राक्कलन महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं या लेनदारों की समिति की ओर से तीसरा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समाधान व्यावसायिक, खंड (क) में उपबंधित रीति में संगणित मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए किसी आस्ति वर्ग के लिए तीसरा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: खंड (ख) के प्रयोजनार्थ,

- (i) "आस्ति वर्ग" से कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन उपबंधित परिभाषा अभिप्रेत है;
- (ii) "महत्वपूर्ण रूप से भिन्न" से, किसी आस्ति वर्ग के अधीन परिसमापन मूल्य में पच्चीस प्रतिशत का अंतर अभिप्रेत है और उसकी संगणना (एल.1 - एल.2)/एल.-1 के रूप में की जाएगी, जहां,

एल.-1 = परिसमापन मूल्य का उच्चतर मूल्यांकन

एल.-2 = परिसमापन मूल्य का निम्नतर मूल्यांकन ।]

- (ग) मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलनों का औसत क्रमशः उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य समझा जाएगा ।
 - (2) समाधान वृत्तिक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के पश्चात्, सिमिति के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य उपलब्ध करेगा कि ऐसा सदस्य उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसे मूल्यों का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;
- (3) समाधान वृत्तिक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा ।]

⁷⁹[35क. **अधिमानी और अन्य संव्यवहार**

(1) समाधान व्यावसायिक, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पचहत्तरवें दिन या उससे पूर्व इस संबंध में राय बनाएगा कि कारपोरेट ऋणी ने धारा 43, 45, 50 या 66 के अंतर्गत आने वाली प्रकृति के किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है।

⁷⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁷⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (2) जहां समाधान व्यावसायिक की यह राय है कि कारपोरेट ऋणी धारा 43,45,50 या 66 के अंतर्गत आने वाली प्रकृति के किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है वहां वह ⁸⁰[***] दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ पन्द्रहवें दिन या उससे पूर्व एक अवधारण करेगा ।
- ⁸¹[(3) जहां समाधान व्यावसायिक उप-विनियम (2) के अधीन कोई अवधारण करता है वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के एक सौ तीसवें दिन को या उससे पूर्व समुचित अनुतोष के लिए आवेदन करेगा ।]
- 82[(3क) समाधान व्यावसायिक, आवेदन की प्रति भावी समाधान आवेदक को अग्रेषित करेगा जिससे कि वह समाधान योजना को आरंभ में नियत समय के भीतर प्रस्तुत करते समय उस पर विचार करने में समर्थ हो सके ।]
- 83[(4) लेनदार, समाधान व्यावसायिक को, ऐसी कोई जानकारी प्रदान करेगा, जो लेनदारों द्वारा की गईं कारपोरेट ऋणी की लेखा-परीक्षाओं, जैसे स्टॉक लेखापरीक्षा, संव्यवहार लेखापरीक्षा, न्यायालयिक लेखापरीक्षा, आदि से उपलब्ध हो सकेगी ।]

36. सूचना ज्ञापन

- (1) ⁸⁴[(1) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (4) के अधीन रहते हुए ⁸⁵[दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पचानवें दिन को या उससे पूर्व] समिति के प्रत्येक सदस्य को इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करेगा ।
- (2) ⁸⁶[सूचना ज्ञापन में प्रमुख विक्रय प्रस्थापनाओं को चिहिनत किया जाएगा और उसमें ऐसी समस्त सुसंगत जानकारी होगी जो भावी समाधान आवेदक को कारपोरेट ऋणी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करने वाले व्यापक दस्तावेज़ के रूप में काम आएगी जिसके अंतर्गत उसके प्रचालन, वितीय विवरणियां भी है और उसमें कारपोरेट ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे -]
 - (क) ⁸⁷[दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे विवरण सिहत आस्तियां और दायित्व ⁸⁸[जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं], जो उनके मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए आमतौर पर आवश्यक हैं।

⁸⁰ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा लोप किया गया ।

⁸¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁸² अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁸³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

[.] 84 अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁸⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁸⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁸⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.024, दिनांकित 06-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁸⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

स्पष्टीकरणः 'विवरण' के अंतर्गत वे ब्यौरे आते हैं, जैसे अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, शेष उपयोगी अविध, पहचान संख्यांक, प्रभारित अवक्षयण, बही मूल्य, ⁸⁹[स्थिर आस्तियों के भौगोलिक निर्देशक] और कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे ।]

- (ख) नवीनतम वार्षिक वितीय विवरण;
- (ग) कारपोरेट ऋणी के पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित वितीय विवरण और वर्तमान वितीय वर्ष का अस्थायी वितीय विवरण जो आवेदन की तारीख से 14 दिनों से अधिक पहले की न हो;
- (घ) लेनदारों की सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावाकृत राशि, उनके स्वीकृत दावों की राशि और इन दावों से संबंधित प्रतिभूति लाभ यदि कोई हो, निहित हों;
- (ड) कारपोरेट ऋणी की और से या कारपोरेट ऋणी को संबंधित पक्षों संबंधी देय ऋण के ब्यौरे;
- (च) कारपोरेट ऋणी के ऋणों से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई गारंटी के ब्यौरे, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि कौन सा गारंटीदाता संबंधित पक्ष है;
- (छ) कारपोरेट ऋणी कंपनी में कम से कम एक प्रतिशत शेयर रखने वाले सदस्यों या भागीदारों का नाम व पता और उनके शेयरों का आकार;
- (ज) सरकार और संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा दायर सभी महत्वपूर्ण मुकदमों और किसी चालू जांच और कार्यवाही के ब्यौरे;
- (झ) मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कारपोरेट ऋणी की देयता;
- ⁹⁰[(ञ) कंपनी का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत कारबार कार्यपालन, प्रमुख संविदाओं, प्रमुख निवेश संबंधी विशिष्टताएं और ऐसे अन्य कारकों के आशुचित्र भी हैं, जिससे कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के अतिरिक्त, जैसे आय-कर विवरणियों में अग्रनीत हानियां, जी.एस.टी. का इनपुट क्रेडिट, प्रमुख कर्मचारी, प्रमुख ग्राहक, आपूर्ति श्रृंखला संबंध, उपयोगिता संपर्क और अन्य पूर्व-विद्यमान सुविधाएं, चालू समृत्थान के रूप में मूल्य का पता चलता है।
- (ट) ऐसे कारपोरेट ऋणी की दशा में, जिसकी कुल आस्तियों का बही-मूल्य हाल ही की उपलब्ध वितीय विवरणियों के अनुसार एक सौ करोड़ रुपए के अधिक है, कारबार का क्रमिक विकास, उद्योग का संक्षिप्त विवरण और विकास के प्रमुख संचालक ।]
- (ठ) अन्य सूचना जो समाधान व्यावसायिक समिति को बताना उचित समझे।

⁸⁹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{90}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (3) सिमिति का कोई सदस्य समाधान व्यवसायिक से इस विनियमन में वर्णित अन्य सूचनाओं का अनुरोध कर सकता है और यदि समाधान योजना पर ऐसी सूचना का प्रभाव पड़ता है तो समाधान व्यवसायिक उचित समय के भीतर सभी सदस्यों के ऐसी सूचना प्रदान करेगा।
- ⁹¹[(3क) [लेनदार, समाधान व्यावसायिक को, उनके पास उपलब्ध कारपोरेट ऋणी की अद्यतन वितीय विवरणियां और अन्य स्संगत वितीय जानकारी प्रदान करेंगे।]
- (4) ⁹²[समाधान वृत्तिक, सिमिति के किसी सदस्य ⁹³[***] से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् कि ऐसा सदस्य या समाधान आवेदक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा,सूचना ज्ञापन को साझा करेगा ।]

⁹⁴[36क. रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

- (1) समाधान व्यावसायिक, हितबद्ध और पात्र भावी समाधान आवेदकों से समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव शीघ्र किन्तु दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने से⁹⁵[साठवें दिन के अपश्चात], [अनुसूची-l] के प्ररूप छ में रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित ⁹⁶करेगा ।
- (2) समाधान व्यावसायिक प्ररूप छ -
- (i) कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि कोई है, के अवस्थान पर और ऐसे किसी अन्य अवस्थान पर, जहां समाधान व्यावसायिक की राय में कारपोरेट ऋणी तात्विक कारबारसंक्रियाएं करता है, व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र में;
 - (ii) कारपोरेट ऋणी का वैबसाइट, यदि कोई है, पर;
 - (iii) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित वैबसाइट, यदि कोई है, पर; और
 - (iv) ऐसी किसी अन्य रीति में, जो समिति विनिश्चितकरे,

प्रकाशित करेगा ।

(3) ⁹⁷[अनुसूची-I] के प्ररूप छ में-

⁹¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

 $^{^{92}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.024, दिनांकित 06-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁹³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा लोप किया गया ।

⁹⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁹⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{96}}$ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁹⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (क) इस बात का कथन होगा कि रूचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत आमंत्रण कहां से, यथास्थिति, डाउनलोड या अभिप्राप्त किया जा सकता है; और
- (ख) रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख होगी, जो कि विस्तृत आमंत्रण जारी करने से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी।
- (4) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट विस्तृत आमंत्रण में,-
- (क) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसार समिति द्वारा यथा-अनुमोदित भावी समाधान आवेदकों के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
- (ख) धारा 29क के अधीन अपात्रता मानदंडों का कथन होगा, जहां तक वे भावी समाधान आवेदकों को लागू होते हैं;
- (ग) कारपोरेट ऋणी के बारे में ऐसी मूलभूत जानकारी होगी, जो कि किसी भावी समाधान आवेदक द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित हो; और
- (घ) रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस या कोई अप्रतिदेय निक्षेप की अपेक्षा नहीं होगी ।
- 98[(4क) रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण में कोई भी उपांतरण उस रीति में किया जा सकेगा जिस रीति में रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आरंभिक आमंत्रण किया गया था:

परन्तु ऐसे उपांतरण एक से अधिक बार नहीं किए जाएंगे ।]

- (5) ऐसा भावी समाधान आवेदक, जो रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण की अपेक्षाएं पूरी करता है, उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेगा ।
- (6) उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति अस्वीकार कर दी जाएगी ।
- (7) रूचि की अभिव्यक्ति किसी भी शर्त से मुक्त होगी और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे -
- (क) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि वह धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन समिति द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है;
 - (ख) खंड (क) के अधीन मानदंड को पूरा करने के साक्ष्यस्वरूप सुसंगत अभिलेख;
- (ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि वह धारा 29क के अधीन किसी अपात्रता से ग्रस्त नहीं है, जहां तक वह उसे लागू होती है;
- (घ) खंड (ग) के अधीन अपात्रता का निर्धारण करने में समर्थ बनाने के लिए सुसंगत जानकारी और अभिलेख;

⁹⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./078, दिनांकित 30.09-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (ङ) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि यदि वह कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय अपात्र हो जाता है तो वह समाधान व्यावसायिक को सूचित करेगा;
- (च) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि रूचि की अभिव्यक्ति में दी गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख सही है और किसी भी समय कोई त्रुटि पाए जाने पर वह समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अपात्र हो जाएगा, कोई प्रतिदेय निक्षेप प्रतिसंहत हो जाएगा और उसके विरुद्ध संहिता के अधीन शास्तिक कार्रवाई लागू होगी; और
- (छ) भावी समाधान आवेदक द्वारा इस आशय का वचनबंध कि वह जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और वह ऐसी जानकारी का प्रयोग स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए नहीं करेगा तथा धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।
- (8) समाधान व्यावसायिक, इस संबंध में समाधान करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सम्यक् तत्परता बरतेगा कि भावी समाधान आवेदक -
 - (क) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के उपबंधों;
 - (ख) धारा 29क के उपबंधों;और
 - (ग) रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण में यथाविनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं,

का अनुपालन करता है ।

- (9) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (8) के अधीन सम्यक् तत्परता बरतने के लिए भावी समाधान आवेदक से कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ की ईप्सा कर सकेगा ।
- (10) समाधान व्यावसायिक, रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख से दस दिन के भीतर, समिति और ऐसे समस्त भावी समाधान आवेदकों को, जिन्होंने रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, पात्र भावी समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करेगा।
- (11) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट अनंतिम सूची में किसी भावी समाधान आवेदक के समावेशन या अपवर्जन के संबंध में कोई आक्षेप, अनंतिम सूची जारी करने से पांच दिन के भीतर समर्थनकारी दस्तावेज़ों सिहत किया जाएगा।
- (12) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (11) के अधीन प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, आक्षेपों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के दस दिन के भीतर भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करेगा।

⁹⁹[36ख. समाधान योजनाओं के लिए निवेदन

- (1) समाधान व्यावसायिक, विनियम 36क के उप-विनियम (10) के अधीन अनंतिम सूची जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर-
 - (क) अनंतिम सूची में प्रत्येक भावी समाधान आवेदक को; और

 $^{^{99}}$ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2018-19/जी.एन/.आर.ई.जी/.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ख) ऐसे प्रत्येक भावी समाधान आवेदक को, जिसने अनंतिम सूची में उसका समावेश न करने के विरुद्ध समाधान व्यावसायिक के विनिश्चय का विरोध किया है,

सूचना ज्ञापन और मूल्यांकन मैट्रिक्स सहित समाधान योजनाओं के लिए एक निवेदन जारी करेगा ।

- (2) समाधान योजनाओं के निवेदन में, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण और समाधान व्यावसायिक और भावी समाधान आवेदक के बीच चर्चा की रीति और प्रयोजन का विवरण तद्नुरूपसमयसीमा सहित दिया जाएगा।
- (3) समाधान योजनाओं के निवेदन में भावी समाधान आवेदकों को समाधान योजना (योजनाएं) प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीस दिन अनुज्ञात किए जाएंगे ।
- (4) समाधान योजनाओं के निवेदन में समाधान योजना प्रस्तुत करने या उसके साथ संलग्न करने के लिए किसी अप्रतिदेय निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

¹⁰⁰[(4क) समाधान योजनाओं के अनुरोधमें समाधान आवेदक से, यदि उसकी समाधान योजना को धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित कर दिया जाता है, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसी कार्य-निष्पादन प्रतिभूति तबप्रतिसंहत हो जाएगी यदि ऐसी योजना का समाधान आवेदक, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात, उस योजना को, योजना के निबंधनों और उसकी कार्यान्वयन सारणी के अनुसार कार्यान्वित करने में असफल रहता है या उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान करता है :

स्पष्टीकरण I.- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "कार्य-निष्पादन प्रतिभूति" से ऐसी प्रकृति, मूल्य, अविध और स्रोत की प्रतिभूति अभिप्रेत होगी, जो कि समाधान योजना की प्रकृति और कारपोरेट ऋणी के कारबार को ध्यान में रखते हुए, समिति के अनुमोदन से समाधान योजनाओं के अनुरोध में विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण II.-कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को आत्यांतिक निबंधनों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, जैसे कि किसी बैंक से X रुपए की Y वर्ष के लिए या एकया अधिक परिवर्ती राशि के संबंध में गारंटी, जैसे समाधान योजना की अविध, समाधान योजना के अधीन लेनदारों को संदेय रकम, आदि ।]

(5) उप-विनियम (1) के अधीन जारी समाधान योजना के निवेदन या मूल्यांकन मैट्रिक्स में किसी उपांतरण के बारे में उसे नए सिरे से जारी किया गया समझा जाएगा और वह उप-विनियम (3) के अधीन समय-सीमा के अध्यधीन होगा।

¹⁰¹[परन्त् ऐसे उपांतरण एक से अधिक बार नहीं किए जाएंगे ।]

(6) समाधान व्यावसायिक, समिति के अनुमोदन से, समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की समयसीमा में विस्तार कर सकेगा ।

¹⁰⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई/.2019-20/जी.एन/.आर.ई.जी/.040, दिनांकित 24-01-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁰¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./078, दिनांकित 30.09-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

- 102[(6क) यदि समाधान व्यावसायिक, इस विनियम के अधीन अनुरोध के प्रत्युत्तर में कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं करता है तो वह समिति के अनुमोदन से, कारपोरेट ऋणी की एक या उससे अधिक आस्तियों के विक्रय के लिए समाधान योजना हेत् अनुरोध जारी कर सकेगा ।]
- (7) समाधान व्यावसायिक, यदि किसी पूर्ववर्ती निवेदन के प्रत्युत्तर में प्राप्त योजनाएं संतोषप्रद नहीं हैं, समिति के अनुमोदन से, इस शर्त के अधीन रहते हुए समाधान योजनाओं के लिए एक से अधिक बार निवेदन जारी कर सकेगा कि वह निवेदन अंतिम सूची में सभी भावी समाधान आवेदकों को किया जाए:

परन्तु उप-विनियम (3) के उपबंध इस उप-विनियम के अधीन समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए लागू नहीं होंगे ।]

103[36ग. कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए रणनीति

- (1) जहां हाल ही की उपलब्ध वितीय विवरणियों के अनुसार कुल आस्तियां एक सौ करोड़ रूपए से अधिक है वहां समाधान व्यावसायिक, समिति के परामर्श से, कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए रणनीति तैयार करेगा और अन्य मामलों में ऐसी रणनीति तैयार कर सकेगा ।
- (2) ऐसी रणनीति की लागत सिहत उसके कार्यान्वित करने का विनिश्चय सिमिति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा ।
- (3) समिति का/के सदस्य भी कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए उपाय कर सकेगा/सकेंगे

37. ¹⁰⁴[समाधान योजना

किसी समाधान योजना में ऐसे अध्युपाय होंगे, जो निगमित ऋणी की आस्तियों के मूल्य के अधिकतम मूल्यांकनके लिए आवश्यक हों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्त् यहां तक सीमित नहीं हैं -

- (क) निगमित ऋणी की समस्त या आंशिक आस्तियों का एक या अधिक व्यक्तियों को अंतरण करना;
- (ख) समस्त या आंशिक आस्तियों का, चाहे वे किसी प्रतिभूति हित के अध्यधीन हैं अथवा नहीं, विक्रय करना;
- ¹⁰⁵[(खक) कारपोरेट ऋणी की विलयन, समामेलन और निर्विलियन द्वारा पुनर्सरचना]
- (ग) निगमित ऋणी के सारवान् शेयरों का अर्जन करना या निगमित ऋणी का एक या अधिक व्यक्तियों में विलयन या समेकन करना;
- 106[(गक) कारपोरेट ऋणी के किन्हीं शेयरों को रद्द या असूचीबद्ध करना, यदि लागू हो;

¹⁰² अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁰³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁰⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.024, दिनांकित 06-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁰⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁰⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (घ) किसी प्रतिभूति हित की त्ष्टि या उपांतरण करना;]
- (ङ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण के निबंधनों में सुधार करना या किसी भंग का अधित्यजन करना:
- (च) लेनदारों को संदेय रकम में कटौती करना;
- (छ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण की परिपक्वता तारीख का विस्तार करना या ब्याज की दर या अन्य निबंधनों में परिवर्तन करना;
- (ज) निगमित ऋणी के गठन संबंधी दस्तावेज़ों में संशोधन करना;
- (झ) नकदी, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के विनिमय या अन्य समुचित प्रयोजन के लिए निगमित ऋणी की प्रतिभूतियों का जारी किया जाना;
- (ञ) निगमित ऋणी द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए माल या सेवाओं के पोर्टफोलियों में परिवर्तन करना;
- (ट) निगमित ऋणी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना; और
- (ठ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करना ।]
- ¹⁰⁷[(ड) कारपोरेट ऋणी की एक या उससे अधिक आस्तियों का, ऐसी आस्तियों के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले एक या उससे अधिक सफल समाधान आवेदकों को विक्रय करना; और शेष आस्तियों के संबंध में व्यवहार करने की रीति ।]

38. समाधान योजना के अनिवार्य विषय

108[(1) समाधान योजना के अधीन देय रकम का संदाय -

- (क) प्रक्रियागत लेनदारों को देय रकम का संदाय करने के मामले में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी; और
- (ख) वितीय लेनदारों को, जिन्हे धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मतदान करने का अधिकार प्राप्त है और उन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था, ऐसे वितीय लेनदारों के मुकाबले जिन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया था, प्राथमिकता दी जाएगी।]

¹⁰⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹⁰⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- 109[(1 क) समाधान योजना में इस बारे में एक कथन शामिल होगा कि उसमें कारपोरेट ऋणी के समस्त हितधारकों के, जिसके अंतर्गत वित्ततीय लेनदार और प्रचालन लेनदार भी हैं, हितों का निपटारा किस प्रकार किया गया है।]
- 110[(1ख) समाधान योजना में इस बारे में ब्यौरे देते हुए एक विवरण शामिल होगा कि क्या समाधान आवेदक या उससे संबद्ध कोई पक्षकार, इससे पूर्व किसी भी समय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है ।]
- (2) किसी समाधान योजना में निम्नलिखित विषय होंगेः
 - (क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;
 - (ख) कारपोरेट लेनदार के कार्यकाल की अवधि के दौरान प्रबंधन और व्यवसायिक नियंत्रण
 - (ग) इसके कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त उपाय

¹¹¹[(घ) उस रीति के लिए, जिसमें संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन अपरिवर्जनीय संव्यवहारों, यिद कोई हैं या अध्याय 6 के अधीन कपटपूर्ण या सदोष व्यापार की बाबत कार्यवाहियों का समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् परिशीलन किया जाएगा और उस रीति के लिए, जिसमें ऐसी कार्यवाहियों से हुए आगमों को, यिद कोई हैं, वितरित किया जाएगा, उपबंध:

परन्तु यह खंड ऐसी किसी समाधान योजना को लागू नहीं होगा, जो धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की गई है।]

- 112[(3) किसी समाधान योजना से यह प्रदर्शित होगा कि -
 - (क) वह व्यतिक्रम के कारण को दूर करती है;
 - (ख) वह साध्य और व्यवहार्य है;
 - (ग) उसमें उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं;
 - (घ) उसमें अपेक्षित अन्मोदनों के लिए और उसकी समय-सीमा के लिए उपबंध हैं; और

¹⁰⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.018, दिनांकित 05-10-2017 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹¹⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.040, दिनांकित 24-01-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹¹¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, दिनांकित 14-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹¹² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) समाधान आवेदक समाधान योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम है।]

39. समाधान योजना का अन्मोदन

- ¹¹³[(1) अंतिम सूची में शामिल कोई भावी समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक को संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार समाधान योजना या योजनाएं विनियम 36ख के अधीन समाधान योजनाओं के लिए निवेदन में दिए गए समय के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज़ों सहित प्रस्तुत कर सकेगा -
 - (क) यह कथन करते हुए एक शपथपत्र कि वह धारा 29क के अधीन समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए पात्र है;
 - ¹¹⁴[***](ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि समाधान योजना के संबंध में या उसमें दी गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख सत्य और सही है तथा किसी भी समय मिथ्या जानकारी और अभिलेख का पता चलने पर वह कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बने रहने के लिए अपात्र हो जाएगा,कोई प्रतिदेय निक्षेपप्रतिसंहत हो जाएगा और उसके विरुद्ध संहिता के अधीन शास्तिक कार्रवाई लागू होगी।
 - ¹¹⁵[(1क) समाधान व्यावसायिक, यदि समाधान योजना के अनुरोध में परिकल्पित हो,-
 - (क) उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त समाधान योजना में उपांतरण अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु ऐसा एक से अधिक बार नहीं होगा; या
 - (ख) समाधान आवेदकों को अपनी योजनाओं में सुधार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु चुनौती प्रणाली का उपयोग कर सकेगा ।
 - (1ख) समिति, ऐसी किसी समाधान योजना पर विचार नहीं करेगी जो-
 - (क) विनियम 36ख के अधीन समिति द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त होती है; या
 - (ख) ऐसे किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है, जिसका नाम भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची में प्रकट नहीं होता है; या
 - (ग) धारा 30 की उपधारा (2) और उप-विनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है ।]]

¹¹³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹¹⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.032, दिनांकित 05-10-2018 द्वारा लोप किया गया ।

¹¹⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./078, दिनांकित 30.09-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- ¹¹⁶(2) [समाधान वृत्तिक, समिति को ऐसी सभी समाधान योजनाएं, जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं, अपने द्वारा संप्रेक्षित, पाए गए या निर्धारित निम्नलिखित संव्यवहारों के, यदि कोई हैं, विवरण
 - (क) धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार;
 - (ख) धारा 45 के अधीन न्यून मूल्यांकित संव्यवहार;
 - (ग) धारा 50 के अधीन उददापक प्रत्यय संव्यवहार; और
 - (घ) धारा 66 के अधीन उद्दापक कपटपूर्ण संव्यवहार ,
 - और ऐसे संव्यवहारों की बाबत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों सहित यदि कोई हैं, प्रस्तुत करेगा।]

¹¹⁷[(3) समिति,-

- (क) उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार मूल्यांकन करेगी;
- (ख) प्रत्येक समाधान योजना की साध्यता और व्यवहार्यता के संबंध में अपनी मंत्रणा को अभिलिखित करेगी; और
 - (ग) ऐसी सभी समाधान योजनाओं पर एक-साथ मतदान करेगी ।
- (3क) जहां केवल एक समाधान योजना के संबंध में मतदान कराया जाता है वहां उसे तब अनुमोदित समझा जाएगा यदि उसे अपेक्षित मत प्राप्त होते हैं
- (3ख) जहां दो या उससे अधिक योजनाओं के संबंध में एक-साथ मतदान कराया जाता है वहां उस समाधान योजना को अनुमोदित समझा जाएगा जिसे उच्चतर मत प्राप्त होते हैं किंतु वे मत अपेक्षित मतों से कम नहीं हैं:

परन्तु जहां दो या उससे अधिक समाधान योजनाओं को समान मत प्राप्त होते हैं किंतु वे अपेक्षित मतों से कम नहीं हैं, वहां समिति मतदान से पूर्व घोषित टाई-ब्रेकर फार्मूले के अनुसार उनमें से किसी एक योजना का अनुमोदन करेगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी भी योजना को अपेक्षित मत प्राप्त नहीं होते हैं वहां समिति, संहिता के अधीन समय-सीमा के अधीन रहते हुए, उस समाधान योजना के संबंध में पुन: मतदान करेगी, जिसे उच्चतर मत प्राप्त हुए हैं:

दृष्टांत - समिति दो समाधान योजनाओं, अर्थात्, योजना क और योजना ख के संबंध में मदतान कर रही है । मतदान का परिणाम निम्न प्रकार है :

मतदान	पक्ष में	मतों की	अनुमोदन की स्थिति
परिणा	प्रतिश	शतता	-
म	योजना क	योजना ख	

¹¹⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.019, दिनांकित 07-11-2017 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	55	60	किसी भी योजना का अनुमोदन नहीं किया जाता क्योंकि किसी भी योजना को अपेक्षित मत प्राप् नहीं हुए हैं । समिति, संहिता के अधीन समय-सीन के अधीन रहते हुए, योजना ख के संबंध में जि उच्चतर मत प्राप्त हुए हैं, पुन: मतदान करेगी ।	
2	70	75	योजना ख का अनुमोदन किया जाता है क्योंकि उसे उच्चतर मत प्राप्त हुए हैं, जो की अपेक्षित मतों से कम नहीं हैं	
3	75	75	समिति, मतदान से पूर्व घोषित टाई-ब्रेकर फार्मूले के अनुसार योजना क या योजना ख का अनुमोदन करेगी ।]	

¹¹⁸[***]

- 119[(4) समाधान व्यावसायिक, सिमिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को 120[121[अनुसूची-I] के प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र और विनियम 36ख के उप-विनियम (4क) के अधीन अपेक्षित कार्य- निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के साक्ष्य] सिहत, धारा 12 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की अधिकतम अविध से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा I]
- (5) समाधान व्यावसायिक भागीदारों और समाधान आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी समाधान योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति के आदेश की प्रति तत्काल भेजेगा।
- 122[(5क) समाधान व्यावसायिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधान योजना का अनुमोदन करने वाले आदेश के पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्येक दावेदार को समाधान योजना के अधीन ऋणों के संदाय के लिए, यथास्थिति, सिदधांत या फार्मूला सूचित करेगा:

परन्तु यह विनियम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होगा;]

¹¹⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.032, दिनांकित 05-10-2018 द्वारा लोप किया गया ।

¹¹⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹²⁰ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.040, दिनांकित 24-01-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹²¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹²² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.066, दिनांकित 13-11-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (6) समाधान योजना के उपबंधों जिसमें वैसे तो कारपोरेट ऋणी, शेयरधारक समझौता, संयुक्त उद्यम समझौता या उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के शर्तों के तहत कारपोरेट ऋणी कंपनी के सदस्यों या भागीदारों जैसा भी मामला हो की सहमित अपेक्षित है, को सहमित प्राप्त न होने के बावजूद लागू किया जाएगा।
- (7) दिवाला घोषित करने की तारीख से पूर्व कापोरेट ऋणी के कार्यों के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक जैसा भी मामला हो के विरूद्ध किसी प्रकार के कार्यवाही की पहल नहीं की जाएगी।
- (8) न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के पश्चात् कारपोरेट ऋणी के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण और परिचालन का प्रभारी व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना के शर्तों के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता की मांग के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।
- 123[(9) ऐसा कोई लेनदार, जो धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना के अकार्यान्वयन से व्यथित है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।]
 124[39क. अभिलेखों का संरक्षण -
- (1) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, ऐसे सभी अभिलेखों की प्रतियां परिरक्षित रखेगा, जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का पूर्ण लेखा देने के लिए अपेक्षित हैं।
- (2) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (1) के अधीन आने वाली बाध्यताओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अभिलेख की प्रतियां परिरक्षित रखेगा, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं या उसका आधार गठित करती हैं:-
 - (क) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में उसकी नियुक्ति, जिसके अंतर्गत नियुक्ति के निबंधन भी हैं;
 - (ख) असाइनमेंट(नियतकार्य) का सौंपा जाना/हाथ में लिया जाना;
 - (ग) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में कारपोरेट ऋणी का प्रवेश;
 - (घ) लोक उद्घोषणा;
 - (ङ) समिति का गठन और समिति की बैठकें;
 - (च) दावें, दावों का सत्यापन और लेनदारों की सूची;

¹²³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.040, दिनांकित 24-01-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹²⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./080, दिनांकित 09-02-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (छ) व्यावसायिकों, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों और दिवाला व्यावसायिक संस्था का नियोजन, जिसके अंतर्गत उनके दवारा किया गया कार्य, प्रस्तुत की गई रिपोर्टें आदि भी हैं;
- (ज) सूचना ज्ञापन;
- (झ) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए समस्त दस्तावेज़ और उनके आदेश;
- (ञ) समाधान योजना का आमंत्रण, विचार किया जाना और अन्मोदन;
- (ट) बोर्ड और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के समक्ष कानूनी रूप से फाइल किए गए दस्तावेज़;
- (ठ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान पत्र-व्यवहार;
- (ड) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत; और
- (ढ) अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, अतिशय उधार संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोषपूर्ण व्यापार ।
- (3) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने या बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्यवाही के समाप्त हो जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो,-
 - (क) कम से कम आठ वर्ष की अविध के लिए समस्त अभिलेख की इलैक्ट्रॉनिक प्रति(भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक); और
 - (ख) कम से तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेखों की भौतिक प्रति, परिरक्षित रखेगा ।
- (4) अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, अभिलेख को किसी सुरक्षित स्थान पर परिरक्षित रखेगा और जैसा कि संहिता और विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, अभिलेख को प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन होगा ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम में निर्दिष्ट अभिलेख के अंतर्गत किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की ऐसी अविध से संबंधित अभिलेख भी है, जिसके दौरान अंतिरम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक ने, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उसने उसके प्रारंभ से असाइनमेंट ग्रहण नहीं किया था या उसके पूरा होने तक असाइनमेंट में बना नहीं रहा था, इस रूप में कार्य किया था ।]

¹²⁵[39ख.समापन लागत की पूर्ति करना

(1) समिति, धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन किसी समाधान योजना का अनुमोदन करते समय या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय, धारा 33 के अधीन समापन का आदेश पारित किए जाने की दशा में, समाधान व्यावसायिक से परामर्श करके समापन की लागत को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम का सर्वोत्तम आकलन कर सकेगी।

¹²⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (2) समिति, उप-विनियम (1) में यथा-आकलित समापन की लागत की पूर्ति के लिए उपलब्ध नकद आस्तियों का सर्वोत्तम आकलन करेगी ।
- (3) जहां उप-विनियम (2) के अधीन आकलित नकद आस्तियां उप-विनियम (1) के अधीन आकलित समापन लागत से कम हैं वहां समिति दोनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए अंशदान करने का उपबंध करने वाली योजना का अनुमोदन करेगी।
- (4) समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, धारा 30 या धारा 33 के अधीन समिति का अनुमोदन या विनिश्चय फाइल करते समय उप-विनियम (3) के अधीन अनुमोदित योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "समापन लागत" का वहीं अर्थ होगा जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (डक) में उसका है।

¹²⁶[39खक. समझौते या ठहराव का निर्धारण

- (1) समिति, धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय इस बात की परीक्षा करेगी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 2ख के उप-विनियम (1) के अधीन यथा-निर्दिष्ट समझौते या ठहराव का पता लगाया जाए अथवा नहीं और समाधान व्यावसायिक, धारा 33 के अधीन आवेदन फाइल करते समय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समिति की सिफारिश प्रस्त्त करेगा।
- (2) जहां उप-विनियम (1) के अधीन कोई सिफारिश की गई है वहां समाधान व्यावसायिक और समिति उस अविध के दौरान, जब कारपोरेट ऋणी का समापन करने संबंधी आवेदन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, समझौते या ठहराव की संभावना का पता लगाती रहेगी ।]

39ग. चालू समुत्थान के रूप में विक्रय का निर्धारण

- (1) समिति, धारा 30 के अधीन किसी समाधान योजना का अनुमोदन करते समय या धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय समापन संबंधी आदेश धारा 33 के अधीन पारित किए जाने की दशा में, इस बारे में सिफारिश कर सकेगी कि सर्वप्रथम परिसमापक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 32 के खंड (ङ) के अधीन चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी का विक्रय करने या उसके खंड (च) के अधीन चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी के कारबार का विक्रय करने की कोशिश करे।
- (2) जहां सिमिति चालू समुत्थान के रूप में विक्रय करने की सिफारिश करती है वहां वह उन आस्तियों और दायित्वों की पहचान करेगी और उनका समूहीकरण करेगी, जिनका विक्रय उनके वाणिज्यिक प्रतिफलों के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन चालू समुत्थान के रूप में किया जाना चाहिए।

¹²⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, धारा 30 या धारा 33 के अधीन समिति का अनुमोदन या विनिश्चय फाइल करते समय उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अधीन समिति की सिफारिश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्त्त करेगा।

39घ. परिसमापक की फीस

समिति, धारा 30 के अधीन किसी समाधान योजना का अनुमोदन करते समय या धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय, यदि समापन का आदेश धारा 33 के अधीन पारित किया जाता है, तो समाधान व्यावसायिक से परामर्श करके,-

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन समझौते या ठहराव के लिए प्रयुक्त अवधि, यदि कोई हो;
- (ख) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 32 के खंड (ङ) और (च) के अधीन विक्रय के लिए प्रयुक्त अविध, यदि कोई है; और
- (ग) समापन की शेष अवधि

के लिए परिसमापक को संदेय फीस नियत कर सकेगी ।]

40. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि में विस्तार

- 1. समिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया अविध में विस्तार के लिए समाधान व्यावसायिक को धारा 12 के तहत कार्यनिर्णायक प्राधिकारों को आवेदन करने का निर्देश दे सकती है।
- 2. समाधान व्यावसायिक समिति से इस विनियमन के तहत निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष विस्तार के लिए आवेदन करेगा।

127[40क. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

निम्निलिखित सारणी में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए इस उपधारणा के आधार पर आदर्श समय-सीमा दी गई है कि अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख को कर दी जाती है और उपलब्ध समय एक सौ अस्सी दिन है:

सारणी

¹²⁸ [धारा/विनियम	क्रियाकलाप का वर्णन	मानक	अद्यतन समय-
			सीमा
धारा 16(1)	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ		टी
	और अंतरिम समाधान व्यावसायिक की		
	नियुक्ति		
विनियम 16(1)	दावे आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक घोषणा	अंतरिम समाधान	ਟੀ+3
		व्यावसायिक की नियुक्ति	
		के 3 दिन के भीतर	

¹²⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹²⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

		I · o	0
धारा 15(1)(ग)/	दावों का प्रस्तुत किया जाना	अंतरिम समाधान	ਟੀ+14
विनियम 6(2)(ग)		व्यावसायिक की नियुक्ति	
और 12(1)		से 14 दिन के लिए	
विनियम 12(2)	दावों का प्रस्तुत किया जाना	प्रारंभ से 90वें दिन तक	ਟੀ+90
विनियम 13(1)	विनियम 12(1) के अधीन प्राप्त दावों का	दावे की प्राप्ति के 7 दिन	ਟੀ+21
	सत्यापन	के भीतर	
	विनियम 12(2) के अधीन प्राप्त दावों का		ਟੀ+97
	सत्यापन		
धारा 21(6क)(ख)/	प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए	विनियम 12(1) के अधीन	ਟੀ+23
विनियम 16क	आवेदन	प्राप्त दावों के सत्यापन से	
विनियम 17(1)	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित करने	2 दिन के भीतर	ਟੀ+23
	वाली रिपोर्ट		
धारा 22(1)/	लेनदारों की समिति की पहली बैठक	लेनदारों की समिति का	ਟੀ+30
विनियम 19(2)		गठन प्रमाणित करने वाली	
		रिपोर्ट फाइल करने के 7	
		दिन के भीतर किन्तु पांच	
		दिन की सूचना सहित	
धारा 22(2)	लेनदारों की समिति द्वारा समाधान	लेनदारों की समिति की	ਟੀ+30
22(2)	व्यावसायिक नियुक्त करने का प्रस्ताव	पहली बैठक में	S. 55
धारा 16(5)	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	
41(1 10(0)	(Terranor Garagina as as for grant	द्वारा अनुमोदन पर	
विनियम 17(3)	अंतरिम समाधान व्यावसायिक तब तक	यदि समाधान व्यावसायिक	ਟੀ+40
14101401 17(3)	समाधान व्यावसायिक के कृत्यों का पालन	की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ	CITTO
	करता है जब तक समाधान व्यावसायिक की		
		की जाती है ।	
विनियम 27	नियुक्ति नहीं हो जाती । मल्यांकक की नियक्ति	समाधान व्यावसायिक की	1 147
वानयम ८/	। मूल्यांकक का नियुक्त		CI+47
		नियुक्ति के 7 दिन के	
		भीतर किन्तु प्रक्रिया कं	
		प्रारंभ होने के 47वें दिन के	
		अपश्चात्	
धारा 12(क)/	स्वीकृत आवेदन की वापसी के लिए आवेदन	रूचि की अभिव्यक्ति जारी	डब्ल्यू
विनियम 30क	प्रस्तुत किया जाना	करने से पूर्व	
	लेनदारों की समिति द्वारा आवेदन का	उसकी प्राप्ति के 7 दिन या	डब्ल्यू+7
	निपटारा	लेनदारों की समिति के	
		गठन के 7 दिन के भीतर,	
		इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती	
		हो ।	
	समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक	लेनदारों की समिति द्वारा	डब्ल्यू+10
	प्राधिकारी को वापसी के लिए आवेदन फाइल	अनुमोदन किए जाने के	
	करना, यदि उसे लेनदारों की समिति द्वारा	तीन दिन के भीतर	
	90 प्रतिशत बह्मत के मतदान द्वारा		
	अनुमोदित किया जाता है ।		
		•	

		1	1
विनियम 35क	समाधान व्यावसायिक द्वारा अधिमानी और	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 75	ਟੀ+75
	अन्य संव्यवहारों के बारे में राय बनाना	दिन के भीतर	
	समाधान व्यावसायिक द्वारा अधिमानी और	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 115	ਟੀ+115
	अन्य संव्यवहारों के बारे में अवधारण करना	दिन के भीतर	
	समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 130	ਟੀ+130
	प्राधिकारी के समक्ष समुचित अनुतोष के लिए	दिन के भीतर	
	आवेदन फाइल करना		
विनियम 36(1)	लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 95	ਟੀ+95
	करना	दिन के भीतर	
विनियम 36क	प्ररूप छ प्रकाशित करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 60	ਟੀ+60
	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण	दिन के भीतर	
	रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुत किया जाना	रूचि की अभिव्यक्ति जारी	ਟੀ+75
	_	करने से कम से कम 15	
		दिन (मान लीजिए 15	
		दिन)	
	समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त	ਟੀ+85
	आवेदकों की अनंतिम सूची	होने के अंतिम दिन से 10	
		दिन के भीतर	
	अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत	अनंतिम सूची की तारीख	ਟੀ+90
	करना	से 5 दिन के लिए	
	समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान	आक्षेप प्राप्त होने के 10	ਟੀ+100
	आवेदकों की अंतिम सूची	दिन के भीतर	
विनियम 36ख	समाधान योजना के लिए निवेदन जारी करना,	अनंतिम सूची जारी करने	ਟੀ+105
	जिसमें मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन	से 5 दिन के भीतर	
	भी है।		
	समाधान योजनाओं की प्राप्ति	समाधान योजना के लिए	ਟੀ+135
		निवेदन जारी करने से कम	
		से कम 30 दिन (मान	
		लीजिए 30 दिन)	
विनियम 39(4)	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित	जैसे ही लेनदारों की समिति	ਟੀ+165
	समाधान योजना का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	द्वारा अनुमोदन कर दिया	
	को प्रस्तुत किया जाना	जाता है ।	
धारा 31(1)	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान		ਟੀ+180]
	योजना का अनुमोदन		

¹²⁹[40ख. प्ररूपों का भरा जाना

(1) यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, नीचे दी गई सारणी के अधीन दिए गए प्ररूप, उनके संलग्नकों सिहत अंतर्वलित प्रक्रिया या घटनाओं के प्रक्रम के आधार पर, प्रत्येक प्ररूप के सामने अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार बोर्ड को प्रस्तुत करेगा :-

¹²⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

सारणी

प्ररूप सं.	समयावधि और परिधि	किसके	समय-सीमा
		द्वारा	
		फाइल	
		किया	
		जाना है	
(1)	(2)	(3)	(4)
आई.पी.1	एसाइनमेंट(नियतकार्य) पूर्व - इसके अंतर्गत	आई.पी.	दिवाला और शोधन
	किसी दिवाला व्यावसायिक द्वारा दिवाला		अक्षमता (न्यायनिर्णायक
	समाधान व्यावसायिक/समाधान		प्राधिकारी को आवेदन)
	व्यावसायिक/परिसमापक/शोधन-अक्षमता		नियम, 2016 के प्ररूप 2
	न्यासी के रूप में नियतकार्य स्वीकार करने		के हस्ताक्षर या इन
	की सम्मति, दिवाला व्यावसायिक और		विनियमों के प्ररूप कक
	आवेदक के ब्यौरे, उस व्यक्ति के ब्यौरे, जो		की सुसंगत तारीख से
	प्रक्रिया कराएगा, सम्मति के निबंधन,		तीन दिन के भीतर ।
	नियोजन के निबंधन, न्यायनिर्णायक		
	प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करना		
	और ग्रहण किए जाने से पूर्व उसका		
	प्रत्याहरण, इत्यादि भी है ।		
सी.आई.आ	सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने से लोक	आई	धारा 13 के अधीन लोक
र.पी.1	उद्घोषणा जारी किए जाने तक: इसके	आर.पी.	उद्घोषणा किए जाने से
	अंतर्गत आई आर.पी., कारपोरेट ऋणी और		सात दिन के भीतर।
	आवेदक के ब्यौरे, न्यायनिर्णायक प्रधिकारी		
	द्वारा आवेदन को ग्रहण करना, लोक		
	उद्घोषणा, सुझाए गए प्राधिकृत		
	प्रतिनिधियों के ब्यौरे, संहिता और कारपोरेट		
	ऋणी को लागू अन्य विधियों के उपबंधों के		
	अननुपालन, आदि भी हैं ।		
सी.आई.आ	लोक उद्घोषणा से आई आर.पी. के	आई	धारा 22 के अधीन
र.पी.2	पुष्टि /प्रतिस्थापन तक : इसके अंतर्गत	आर.पी.	आई.आर.पी. के पुष्टि
	आई आर.पी. द्वारा लेनदारों के किसी		/प्रतिस्थापन से सात दिन
	वर्ग के लिए चयनित प्राधिकृत		के भीतर ।
	प्रतिनिधि के ब्यौरे, कारपोरेट ऋणी के		
	प्रबंध को ग्रहण करना, दावों की प्राप्ति		

	और सत्यापन, लेनदारों की समिति का		
	गठन, लेनदारों की समिति की प्रथम		
	बैठक, आई आर.पी. की		
	पुष्टि/प्रतिस्थापन, प्रबंधमंडल के		
	सहयोग की ईप्सा करने संबंधी आवेदन		
	(यदि कोई हैं), आई आर.पी. पर या		
	उसके द्वारा उपगत व्यय, आई आर.पी.		
	का कारपोरेट ऋणी, वित्तीय लेनदारों		
	और व्यावसायिकों से संबंध, आई.पी.ई.		
	से ईप्सित सहायता सेवाएं, संहिता और		
	कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों		
	के उपबंधों के अननुपालन, आदि भी हैं		
सी.आई.आ	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से	आर.पी.	विनियम 36 के अधीन
र.पी.3	लेनदारों की समिति के सदस्यों को सूचना		लेनदारों की समिति के
	ज्ञापन जारी किए जाने तक : इसके अंतर्गत		सदस्यों को सूचना ज्ञापन
	समाधान व्यावसायिक के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकृत		जारी किए जाने के सात
	मूल्यांककों के ब्यौरे, दिवाला समाधान		दिन के भीतर ।
	व्यावसायिक द्वारा समाधान व्यावसायिक		
	को कारपोरेट ऋणी के अभिलेख सौंपना,		
	कारपोरेट ऋणी के प्रबंध को ग्रहण करना,		
	प्रबंधमंडल के सहयोग की ईप्सा करने		
	संबंधी आवेदन (यदि कोई हैं), सूचना ज्ञापन		
	में ब्यौरे, संहिता और कारपोरेट ऋणी को		
	लागू अन्य विधियों के उपबंधों के		
	अननुपालन, आदि भी हैं ।		
सी.आई.आ	सूचना ज्ञापन जारी किए जाने से समाधान	आर.पी	विनियम 36ख के अधीन
र.पी.4	योजनाओं के लिए अनुरोध जारी किए जाने		समाधान योजनाओं के
	तक: इसके अंतर्गत हित की अभिव्यक्ति,		लिए अनुरोध जारी किए
	समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध और		जाने के सात दिन के
	उसका उपांतरण, मूल्यांकन मैट्रिक्स, संहिता		भीतर ।
	और कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों		
	के उपबंधों के अननुपालन, आदि भी हैं ।		
सी.आई.आ	समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी	आर.पी.	धारा 31 के अधीन
र.पी.5	किए जाने से सी.आई.आर.पी. के पूरा होने		न्यायनिर्णायक प्राधिकारी
	तक: इसके अंतर्गत दावेदारों की अद्यतन		द्वारा, यथास्थिति,

		T	
	सूचना, लेनदारों की अद्यतन समिति,		समाधान योजना के
	समाधान आवेदकों के ब्यौरे, प्राप्त की गई		अनुमोदन या धारा 33 के
	समाधान योजनाओं के ब्यौरे, लेनदारों की		अधीन समापन के लिए
	समिति द्वारा समाधान योजनाओं के		आदेश जारी किए जाने के
	अनुमोदन या नामंजूर किए जाने के ब्यौरे,		सात दिन के भीतर ।
	समाधान योजना के अनुमोदन के लिए		
	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल		
	किया गया आवेदन, समापन का प्रारंभ, यदि		
	लागू हो, समाधान व्यावसायिक पर या		
	उसके द्वारा उपगत व्यय, व्यावसायिकों की		
	नियुक्ति और नियुक्ति के निबंधन,		
	समाधान व्यावसायिक का कारपोरेट ऋणी,		
	वित्तीय लेनदारों और व्यावसायिकों से संबंध,		
	आई.पी.ई. से ईप्सित सहायता सेवा, संहिता		
	और कारपोरेट ऋणी को लागू अन्य विधियों		
	के उपबंधों के अननुपालन, आदि भी हैं ।		
सी.आई.आ	विनिर्दिष्ट घटनाः इसके अंतर्गत	यथास्थि	घटना घटने के सात दिन
र.पी.6	निम्नलिखित हैं:	ति,	के भीतर ।
	क. अधिमानी संट्यवहार, न्यून-मूल्यांकित	आई.आर.	
	संव्यवहार, कपटपूर्ण संव्यवहार और	पी. या	
	अतिशय संव्यवहार की बाबत आवेदन	आर. पी.	
	फाइल करना;		
	ख. अंतरिम वित्तपोषण जुटाना;		
	ग. प्रत्याभूतिदाताओं की दिवाला समाधान		
	प्रक्रिया;		
	घ. सी.आई.आर.पी. की अवधि का		
	विस्तारण और समय का अपवर्जन;		
	ड.सी.आई.आर.पी. (अपील, बंदोबस्त,		
	प्रत्याहरण आदि) का समयपूर्व बन्द किया		
	जाना;		
	च. सी आई.आर.पी. के पूरा होने से पूर्व		
	समापन के लिए अनुरोध; और		
	छ. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा यथा-		
	अनुमोदित समाधान योजना का		
	1	I	i l
	अकार्यान्वयन ।		

¹³⁰[(1क) जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में कथित कोई क्रियाकलाप उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरा नहीं होता है वहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, उक्त तारीख से तीन दिन के भीतर प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करेगा और जब तक उक्त क्रियाकलाप अपूर्ण रहता है तब तक प्रत्येक तीस दिन में प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करता रहेगा-:

क्र.सं.	वह क्रियाकलाप, जिसमें प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल किया जाना अपेक्षित है, यदि वह विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरा नहीं होता है	फाइल करने के लिए	सी.आई.आर.पी. 7
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सार्वजनिक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है	विनिर्दिष्ट तारीख+3	X+60वां दिन,
2	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति टी+30वें दिन तक नहीं की जाती है	दिन	X+90वां दिन, इत्यादि, जब तक वह
3	सूचना ज्ञापन, सार्वजनिक उद्घोषणा की तारीख से 51 दिन के भीतर जारी नहीं किया जाता है		क्रियाकलाप पूरा नहीं हो जाता है ।
4	आर.एफ.आर.पी., सूचना ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख से 51 दिन के भीतर जारी नहीं किया जाता है		
5	सी.आई.आर.पी. टी+180वें दिन तक पूरी नहीं होती है		

टी = सी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख, और

X = स्तंभ (3) के अधीन प्रथम बार प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करने की तारीख ।

परन्तु पश्चात्वर्ती प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 तब तक फाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती प्ररूप सी.आई.आर.पी.7 फाइल करने से तीस दिन व्यतीत न हो गए हों ।

स्पष्टीकरण: एक समय में केवल एक प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल किया जाएगा, चाहे विनिर्दिष्ट तारीख तक एक या उससे अधिक क्रियाकलाप पूरे न किए गए हों ।

दृष्टांत

-

 $^{^{130}}$ अधिसूचना सं आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.070, दिनांकित 15-03-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (क) यदि सार्वजिनक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+छठे दिन तक फाइल किया जाएगा । इसके पश्चात्, यदि सार्वजिनक उद्घोषणा टी+16वें दिन को की जाती है तो कोई अतिरिक्त प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि सार्वजिनक उद्घोषणा टी+33वें दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+36वें दिन को फाइल किया जाएगा ।
- (ख) यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+छठे दिन तक फाइल किया जाएगा । इसके पश्चात्, यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+16वें दिन को की जाती है तो कोई अतिरिक्त प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति टी+30वें दिन तक नहीं की जाती है, यद्यपि प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+33वें दिन तक फाइल किया जाना होता है, तो वह प्रथम प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल किए जाने से 30वें दिन को, अर्थात, टी+36वें दिन को फाइल किया जाएगा ।
- (ग) यदि सार्वजिनक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+छठे दिन तक फाइल किया जाएगा । इसके पश्चात्, यदि या तो सार्वजिनक उद्घोषणा टी+33वें दिन तक नहीं की जाती है या समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति टी+30वें दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+36वें दिन को फाइल किया जाएगा ।]

¹³¹[(1ख) समाधान व्यावसायिक, विनियम 35क के अधीन अपनी राय और अवधारणा के ब्यौरे सूचित करते हुए, दिवाला प्रारंभ होने के एक सौ चालीसवें दिन या उससे पूर्व, प्ररूप सी.आई.आर.पी. 8 फाइल करेगा:

परन्तु प्ररूप सी.आई.आर.पी. 8 का फाइल किया जाना तब तक देय नहीं हो जाएगा जब तक कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अविध समाप्त न हो गई हो ।]

- (2) बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर प्ररूपों को उपलब्ध कराएगा और उन्हें समय-समय पर संशोधित कर सकता है।
- (3) यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के अधीन फाइल किए गए प्ररूप और उनके संलग्नक सही और पूर्ण हैं। 132 [(4) इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करके या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 अक्टूबर, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक कलैंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

उदाहरणः कोई प्ररूप 30 अक्टूबर, 2020 तक फाइल किया जाना अपेक्षित है। वह निम्नानुसार फीस सहित फाइल किया जाएगाः

यदि निम्नलिखित तारीख को फाइल किया जाता है	फीस (रुपयों में)
29 अक्टूबर, 2020	0

¹³¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹³² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.056, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

30 अक्टूबर, 2020	0
31 अक्टूबर, 2020	500
नवम्बर, 2020 में किसी दिन	1000
दिसम्बर, 2020 में किसी दिन	1500"

- (5) यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक -
 - (i) कोई प्ररूप, अपेक्षित जानकारी और अभिलेख सहित फाइल करने में असफल रहने पर;
 - (ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ गलत और अपूर्ण जानकारी या अभिलेख फाइल करने पर;
 - (iii) फाइल करने में विलंब करने पर;

किसी ऐसी कार्रवाई के लिए दायी होगा, जो बोर्ड संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन उचितसमझे, जिसके अंतर्गत संबंधित दिवाला व्यावसायिक अभिकरण द्वारा प्राधिकार जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करना भी है।]

133[40ग. समय-सीमा से संबंधित विशेष उपबंध

इन विनियमों में अंतर्विष्ट समय-सीमाओं के होते हुए भी, किन्तु संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप अधिरोपित लॉक-डाउन की अविध की गणना किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में ऐसे किसी क्रियाकलाप के लिए समय-सारणी के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी जो कि ऐसे लॉक-डाउन के कारण पूरा नहीं किया जा सका ।]

¹³⁴[40घ. समापन करने का विनिश्चय

(1) सिमिति, कारपोरेट ऋणी के समापन के संबंध में विचार करते समय कारकों पर विचार कर सकेगी, जिसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की गैर-प्रचालन स्थिति, उत्पादित माल या दी गई सेवा या प्रयोग में लाई गई तकनीक का अप्रचलित होना, किसी आस्ति का अभाव, किन्हीं अमूर्त आस्तियों की कमी भी हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं, या ऐसे कारक जो भौतिक आस्तियों के अतिरिक्त चालू समुत्थान के रूप में मूल्य बढ़ाते हैं, जैसे ब्रांड मूल्य, बौद्धिक संपत्ति, संचित हानियां, अवक्षयण, ऐसे निवेश, जो भी परिपक्व होने हैं।

¹³³ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2020-21/जी.एन./आर. ई. जी.059, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹³⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022) द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) ऐसी विचारणा को अभिलिखित किया जा सकेगा और उसे समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्त्त किए गए समापन के आवेदन में प्रस्त्त किया जा सकेगा ।]

¹³⁵[¹³⁶[अनुसूची-I]

प्ररूप क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

.....(कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए

	सुसंगत विशिष्टियां	
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
3.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत	
4.	कारपोरेट पहचान सं./कारपोरेट ऋणी का सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	
5.	कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	
6.	कारपोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राक्कलित तारीख	
8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
9.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	
10.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल	
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	

¹³⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2018-19/जी.एन./आर. ई. जी.031, दिनांकित 03-07-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹³⁶ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

12.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा अभिनिश्चित धारा 21 की	वर्ग(वर्गीं) के नाम दें
	उपधारा (6क) की खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई	
	हैं ।	
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य	1.
	करने के लिए अभिलक्षित दिवाला व्यावसायिकों के नाम	2.
14.	(क) सुसंगत प्ररूप और	वैब लिंक
	(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहां उपलब्ध हैं:	वास्तविक पता

यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख) को प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

.......(कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों से अंतरिम समाधान व्यावसायिक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर (अंतिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से चौदह दिन के भीतर आने वाली तारीख अंतःस्थापित करें) को या उससे पूर्व सबूत सिहत अपने दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय लेनदार सबूत सिहत अपने दावे केवल इलैक्टानिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे । अन्य सभी लेनदार सबूत सिहत अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रविष्टि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग का कोई वित्तीय लेनदार प्रविष्टि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला व्यावसायिकों में से उस वर्ग(वर्ग विनिर्दिष्ट करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसन्दप्ररूपगक में उपदर्शित करेगा ।

दावे के मिथ्या या भ्रामक सब्त प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी । अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम और हस्ताक्षर तारीख और स्थान:

प्ररूपकक

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 3(1क) के अधीन]

(तारीख)

प्रेषक:

(दिवाला व्यावसायिक का नाम) (दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता)

सेवा में,

लेनदारों की समिति (कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय: समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति ।

में, (नाम)(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक यह नोट करता हूं कि समिति का मुझे(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए संहिता की धारा 22(3)(क)/22(3)(ख)/27(2) के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

- 2. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 3(1क) के अनुसार प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देता हूं।
- 3. मैं निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:-
 - क. मैं बोर्ड के पास एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं।
- ख. मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा संस्थित किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हूं ।
 - ग. मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने संबंधी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूं।
- घ. मैं विनियम 3 और संहिता और विनियमों के अन्य लागू उपबंधों के अधीन कारपोरेट ऋणी के समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र हूं ।
- ङ. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में यथा-उपवर्णित दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता के अनुसार प्रकटन करूंगा ।

च. इस समय मेरे पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं:

क्रम सं.	भूमिका	सहमति की तारीख को प्रक्रियाओं की
		संख्या
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेटऋणियों	
	ख. व्यष्टियों	
	का समाधान ट्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं	
	ख. स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं	
	का परिसमापक	
4	शोधन-अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

	_0		
$\boldsymbol{\pi}$	IJ	Ja	•

(दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)

स्थान:

प्ररूपकख

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 4क(3) के अधीन]

प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति

(तारीख)

प्रेषक:

Ι

(दिवाला व्यावसायिक का नाम) (दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता)

सेवा में, अंतरिम समाधान व्यावसायिक (कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय: प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति ।

मैं, (नाम)(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक यह नोट करता हूं कि आपने मुझे(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए(वर्ग विनिर्दिष्ट करें) वर्ग में वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है।

- 2. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 4(क) के अनुसार प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देता हूं ।
- 3. मैं निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:-
 - क. मैं बोर्ड के पास एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं।
- ख. मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा संस्थित किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हं ।
 - ग. मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने संबंधी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूं।
 - घ. मैं लेनदारों से प्ररूप चक में मेरे पक्ष में अपनी पसन्दउपदर्शित करने के लिए याचना नहीं करूंगा
 - ङ. इस समय मेरे पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं:

क्रम सं.	भूमिका	प्रक्रियाओं की संख्या		
		सहमति की तारीख को	सहमति की तारीख से	
			30 दिन तक	
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक			

2	क. कारपोरेटऋणियों	
	ख. व्यष्टियों	
	का समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं	
	ख. स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं	
	का परिसमापक	
4	शोधन-अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

तारीख:

(दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)

स्थान:

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

¹³⁷[अनुसूची-I]

प्ररूप ख

परिचालन लेनदार जिसमें श्रमिक और कर्मचारी शामिल नहीं है द्वारा दावों का प्रमाण
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)
विनियमन, 2016 के विनियमन 7 के तहत)

सेवा में,	(तारीख)
अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक	

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]

¹³⁷ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

द्वारा

[परिचालन लेनदार का नाम और पता]

विषयः दावों के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण

महोदया/महोदय,

[परिचालन लेनदार का नाम] एतद्द्वारा, [कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी दावों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके ब्यौरे निम्नलिखित हैः

विवरण		
1.	परिचालन लेनदार का नाम	
2.	परिचालन लेनदार की पहचान संख्या (यदि निगमित निकाय निगमन की पहचान संख्या या प्रमाण देता है। यदि एक भागीदारी फर्म या व्यक्ति अपने सभी भागीदारों पहचान से संबंधित रिकॉर्डंउपलब्ध करवाती है)।	
3.	परिचालन लेनदार का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता [यदि कोई हो]	
4.	दावे की कुल राशि [जिसमें दिवाला शुरूआत तारीख से ब्याज भी शामिल है।]	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके। किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकॉर्ड या दावे का	
	आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण	
6.	लंबित मामलों या मुकदमें का आदेश या मध्यस्थता कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ-साथ किसी विवाद का ब्यौरा	
7.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण	

8.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के मध्य पारस्परिक जमा,	
	पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक लेनदेन के ब्यौरे	
	जिन्हें दावों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।	
9.	¹³⁸ [का विवरण :	
	क. किसी प्रतिभूति, उसका मूल्य और उसकी	
	तिथि, या	
	ख. माल या संपत्तियों के संबंध में शीर्षक	
	व्यवस्था का कोई भी प्रतिधारण जिसका	
	दावा" संदर्भित करता है];	
10.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका	
	कोई भाग जिसका समाधान योजना के अनुसरण में	
	हस्तांतरित किया जा सके।	
11.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए	
	जिससे परिचालन लेनदार के दावे के अस्तित्व और गैर-	
	अदायगी की पुष्टि की जा सके।	

परिचालन लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
[प्राधिकार संलग्न करें यदि यह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।]
नाम बड़े अक्षरों में
लेनदार के साथ संबंध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

¹³⁹[घोषणा

मैं, [दावाकर्ता का नाम], वर्तमान निवासी [पता लिखें], एतद्दवारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं:-

^{*} पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

¹³⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹³⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- 1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि......20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।
- 2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: [कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था]
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गयाहै ।
- 4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिएकिसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं[नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सब्त की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

[अन्सूची-l]

¹⁴⁰[प्ररूप ग

वितीय लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 8 के अधीन]

[तारीख]

प्रेषक

(वित्तीय लेनदार का नाम और पता, जिसके अंतर्गत उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता भी है)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक (अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम) (सार्वजनिक उद्घोषणा में यथा-उपवर्णित पता)

विषय: दावा और दावे के सबूत का प्रस्तुत किया जाना । महोदया/महोदय,

.......(वितीय लेनदार का नाम)(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत यह दावा प्रस्तुत करता है । इसका विवरण नीचे उपवर्णित किया जाता है:

	सुसंगत विशिष्टियां				
(1)	(2)	(3)			
1.	वित्तीय लेनदार का नाम				
2.	वित्तीय लेनदार का पहचान संख्यांक				
	(यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्यांक और				
	निगमन का सबूत दें । यदि कोई भागीदारी या व्यष्टि है तो				
	सभी भागीदारों या व्यष्टि के पहचान अभिलेख* दें)				
3.	पत्र-व्यवहार के लिए वितीय लेनदार का पता और ई-मेल पता				
4.	दावे के ब्यौरे, यदि वह कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध मुख्य उधार				
	लेने वाले के रूप में किया जाता है:				
	(i) दावे की रकम				
	(ii) दावे की वह रकम, जो प्रतिभूति हित, यदि कोई है, के				
	अंतर्गत आती है				
	(कृपया प्रतिभूति हित के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह				
	तारीख, जब यह दिया गया था, दें)				

64

¹⁴⁰ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.070, दिनांकित 15-03-2021, द्वारा प्रतिस्थापित ।

	(iii) दावे की वह रकम, जो प्रत्याभूति, यदि कोई है, के अंतर्गत	
	आती है	
	(कृपया धारित प्रत्याभूति के ब्यौरे, प्रत्याभूति का मूल्य और	
	वह तारीख, जब वह दी गई थी, दें)	
	(iv) प्रत्याभूतिदाता(प्रतिभूतिदाताओं) का(के) नाम और पता(पते)	
5.	दावे के ब्यौरे, यदि वह कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध प्रत्याभूतिदाता	
	के रूप में किया जाता है:	
	(i) दावे की रकम	
	(ii) दावे की वह रकम, जो प्रतिभूति हित, यदि कोई है, के	
	अंतर्गत आती है	
	(कृपया प्रतिभूति हित के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह	
	तारीख, जब यह दिया गया था, दें)	
	(iii) दावे की वह रकम, जो प्रत्याभूति, यदि कोई है, के अंतर्गत	
	आती है	
	(कृपया धारित प्रत्याभूति के ब्यौरे, प्रत्याभूति का मूल्य और	
	वह तारीख, जब वह दी गई थी, दें)	
	(iv) मुख्य उधार लेने वाले का नाम और पता	
6.	दावे के ब्यौरे, यदि वह लेनदार द्वारा दिए गए संहिता की धारा	
	5 की उपधारा (8) के खंड (ज) और (झ) के अंतर्गत आने वाले	
	वित्तीय ऋण की बाबत किया जाता है:	
	(i) दावे की रकम	
	(ii) हितधारक का नाम और पता	
7.	इस संबंध में ब्यौरे कि ऋण कब और कैसे उपगत हुआ	
8.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक प्रत्यय,	
	पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहारों के ब्यौरे, जिनका	
	दावे के मद्धे समायोजन किया जा सकता है	
9.	बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें किसी समाधान योजना के	
	अनुसरण में दावे या उसके किसी भाग की रकम अंतरित की	
	जा सकती है	
	·	

(वितीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
[कृपया प्राधिकार-पत्र संलग्न करें यदि यह वितीय लेनदारों की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

* पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

घोषणा

मैं	(दावाकर्ता का न	गम) वर्तमान निवासी	r(पता अंतः	स्थापित करें) य	ग्ह घोषणा औ र	कथन करता हूं:-
	1(कार	पोरेट ऋणी का नाम)), कारपोरेट ऋणी	, दिवाला प्रक्रिर	या प्रारंभ होने व	की तारीख को जो
कि.	20	है वास्तव में	रुपए [दावे र्व	ने रकम भरें। र् <u>व</u>	ो राशि के लिए	र मेरा ऋणी था ।

- 2. मैने उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: (कृपया दावे के साक्ष्यस्वरूप अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दें)
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं और उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।
- 4. मैने और मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तृष्टि या प्रतिभृति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक प्रत्यय, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

- 5. मैं अपने दावे को, जैसे ही दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी स्रोत से किसी भी रीति में उसकी भागतः या पूर्णतः त्ष्टि हो जाती है, अद्यतन करने का वचन देता हूं ।
- 6. मैं संहिता की धारा 5(24) के अधीन यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी/उसके संबंध में संबद्ध पक्षकार नहीं हूं ।
- 7. मैं संहिता की धारा 21(2) के परन्तुक के आधार पर लेनदारों की समिति में प्रवेश करने का पात्र हूं यद्यपि मैं कारपोरेट ऋणी से संबद्ध पक्षकार हूं ।

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

में [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सब्त की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.... को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अभिहित भागीदार द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]]

प्ररूप गक

किसी वर्ग में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 8क के अधीन]

(तारीख)

प्रेषक

(वितीय लेनदार का नाम और पता, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता भी है)

सेवा में,

(सार्वजनिक उद्घोषणा में यथा-उपवर्णित पता) अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक (अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम)

विषय: दावा और दावे का सबूत प्रस्तुत करना । महोदय/महोदया.

......(वितीय लेनदार का नाम)(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत यह दावा प्रस्त्त करता है । इसका विवरण नीचे उपवर्णित किया जाता है:

	सुसंगत विशिष्टियां					
1	वित्तीय लेनदार का नाम					
2	वित्तीय लेनदार का पहचान संख्यांक					
	(यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्यांक और निगमन का					
	सबूत दें । यदि कोई भागीदारी फर्म या व्यष्टि है तो सभी भागीदारों					
	या व्यष्टि के पहचान अभिलेखदें)					
	इस प्रयोजनार्थ पहचान अभिलेख के अंतर्गत आयकर स्थायी खाता					
	सं. (पैन), आधार या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान					
	पत्र शामिल है ।					
3	पत्र-व्यवहार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ई-मेल पता					
4	दावे की कुल रकम					
	(जिसके अंतर्गत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को कोई					
	ब्याज भी है)					
5	उन दस्तावेज़ों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देश करके ऋण सिद्ध किया					
	जा सकता है ।					
6	इस संबंध में ब्यौरे कि ऋण कब और कैसे उपगत हुआ ।					

7	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक प्रत्यय,	
	पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहारों के ब्यौरे, जिनका दावे	
	के मद्धे समायोजन किया जा सकता है ।	
8	धारित किसी प्रतिभूति के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह तारीख	
	जब वह दी गई थी ।	
9	बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण में	
	दावे या उसके किसी भाग की रकम अंतरित की जा सकती है।	
10	वित्तीय लेनदार को देय दावे की विद्यमानता और असंदाय साबित	
	करने की दृष्टि से इस दावे में संलग्न दस्तावेज़ों की सूची	
11	उस दिवाला व्यावसायिक का नाम जो वर्ग के लेनदारों के प्राधिकृत	
	प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा ।	

(वितीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)					
नाम स्पष्ट अक्षरों में					
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध					
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता					

* पैन नं., पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

घोषणा

मैं	(दावाकर्ता	का	नाम)	वर्तमान	निवासी	(पता	अंतःस्थापित	करें)	यह	घोषणा	और	कथन	करता
						हं:-							

- 1.(कारपोरेट ऋणी का नाम), कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को जो कि......20 है वास्तव मेंरपए (दावे की रकम भरें) की राशि के लिए मेरा ऋणी है।
- 2. मैने उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे की बाबत नीचेविनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है (कृपया दावे के साक्ष्यस्वरूप अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दें)
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं और उनमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाए नहीं गए हैं ।
- 4. मैने और मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:
- [कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]
- 5. मैं संहिता की धारा 5(24) के अधीन यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी/उसके संबंध में संबद्ध पक्षकार नहीं हूं ।
- 6. मैं संहिता की धारा 21(2) के परन्तुक के आधार पर लेनदारों की समिति में प्रवेश करने का पात्र हूं यद्यपि मैं कारपोरेट ऋणी से संबद्ध पक्षकार हूं ।

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]

¹⁴¹[अनुसूची-l]

प्ररूप घ

कर्मकार/कर्मचारी के दावे का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016) विनियमन 9 के अंतर्गत)

[तारीख]

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यवसायिक/समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यवसायिक/समाधान व्यवसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता

द्वारा

[कर्मकार/कर्मचारी का नाम और पता]

विषयः दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

¹⁴¹ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

महोदया/महोदय,

[कर्मकार/कर्मचारी का नाम] एतद्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले [कारपोरेट लेनदार का नाम] के संबंध में दावे का प्रमाण एतद्वारा प्रस्तुत करता हूं। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं:

	विवरण	
1.	कर्मकार/कर्मचारी का नाम	
2.	पैन संख्या, पासपोर्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र या वित्तीय लेनदार का आधार कार्ड	
3.	कर्मकार/कर्मचारी का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता [यदि कोई हो]	
4.	दावे की कुल राशि [जिसमें दिवाला प्रक्रिया के शुरूआत की तारीख का कोई ब्याज भी शामिल है।	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से दावे की पुष्टि की जा सके।	
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकॉर्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण	
7.	कैसे और कब दावा इकट्ठा हुआ विवरण	
8.	किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य संव्यवहार कारपोरेट ऋणी और दावेदार के बीच हुआ जिसे दावे के एवज में समायोजित किया जा सके का विवरण।	
9.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।	
10.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिससे परिचालन दावेदार के दावे के अस्तित्व और दावे की गैर-अदायगी को सिद्ध किया जा सके।	

कर्मकार/कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
[प्राधिकार संलग्न करें यदि यह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।]
नाम बड़े अक्षरों में
लेनदार/दावेदार के साथ संबंध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

¹⁴²[घोषणा

- मैं, [दावाकर्ता का नाम], वर्तमान निवासी [पता लिखें], एतद्दवारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं:-
- 1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि......20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।
- 2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: [कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था]
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- 4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिएकिसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)]

सत्यापन

¹⁴² आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

¹⁴³[अनुसूची-l]

प्ररूप ङ.

कर्मकार या कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रमाण
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)
विनियमन, 2016 के विनियमन 9 के अंतर्गत)

[तारीख]

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

[कर्मकार कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता]

विषयः दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया/महोदय,

[कर्मकार/कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता, वर्तमान में निवासी (कर्मकार/कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि का पता) कर्मकार और कर्मचारी जो उपरोक्त वर्णित कारपोरेट ऋणी के द्वारा नियोजित और अनुलग्नक क में सूचीबद्ध है] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और कथन करता हूं:

1. यह कि उपरोक्त वर्णित कारपोरेट ऋणी दिवाला प्रक्रिया की शुरूआत की तारीख जो दिवस 20 को औचित्यपूर्ण एवं सत्य रूप से कई व्यक्तियों का ऋणी है जिनके नाम, पते और विवरण अनुलग्नक क में नीचे राशि जो अलग-अलग दर्शायी गई है, में उनके नाम के सामने अनुलग्नक क में मजदूरी, पारिश्रमिक और उनको देय अन्य राशि के रूप में क्रमशः कर्मकार या और कर्मचारी के रूप में कारपोरेट ऋणी

¹⁴³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

को उनके द्वारा क्रमशः कारपोरेट ऋणी को ऐसी अवधि के दौरान दी गई जो उनके संबंधित नामों के सामने अन्लग्नक क में दी गई है।

2. यह कि उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के संबंध में उन्होंने न ही उनमें से किसी ने भी संतुष्टि या स्रक्षा, जो भी लागू हो, का निम्नलिखित के अलावा प्राप्त किया है।

[किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच जिसे दावे में से समायोजित किया जा सके का विवरण दें।]

साक्षी

¹⁴⁴[अनुसूची-l]

1. कर्मचारी/कर्मकार का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी/कर्मकार का नाम	पहचान संख्या (पैन	कुल देय राशि (रु)	अवधि जिसके लिए राशि देय है
		संख्या, पासपोर्ट या		राशि देय है
		आधार कार्ड)		
1.				
2.				
3.				
4.				

- 2. कारपोरेट ऋणी को किस प्रकार ऋण दिया गया जिसमें किसी विवाद साथ ही साथ दावे या मध्यस्थता प्रिक्रियाएं (यदि कोई हो) के लंबित होने का रिकॉर्ड इत्यादि का विवरण भी दें।
- किसी पारस्पिरक जमा, पारस्पिरक ऋण या अन्य पारस्पिरक संव्यवहार कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच जिसे दावे को समायोजित किया जा सके का विवरण दें।

सलग्नकः

¹⁴⁵[ऋण के सबूत और ऋण के असंदाय के सबूतों के साक्ष्य के रूप में अवलंब लिए गए दस्तावेज़]

¹⁴⁴ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁴⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁴⁶[घोषणा

- मैं, [दावाकर्ता का नाम], वर्तमान निवासी [पता लिखें], एतद्दवारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं:-
- 1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि......20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।
- 2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: [कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था]
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- 4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिएकिसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की त्ष्टि या प्रतिभृति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मदधे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)]

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

¹⁴⁷[प्ररूप च]

लेनदारों द्वारा (वित्ततीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों से भिन्न) दावे का सबूत [भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 9क के अधीन]

ताराख	_
, , . 	•

¹⁴⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁴⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.013, दिनांकित 16-08-2017) द्वारा अंतःस्थापित ।

सेवा में,
अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक
[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]
[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]
प्रेषक
[लेनदार का नाम और पता]
विषय: दावे का सबूत प्रस्तुत करना।
महोदया/महोदय

मैं[लेनदार का नाम][कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत दावे का निम्नलिखित सबूत प्रस्तुत करता हूं। इसके ब्यौरे नीचे उपवर्णित किए गए हैं:

विशिष्टियां

	विसान्द्रवा
1.	लेनदार का नाम
2.	लेनदार का पहचान संख्यांक
	(यदि कोई निगमित निकाय निगमन का पहचान संख्यांक और सबूत
	देता है। यदि कोई भागीदारी फर्म या व्यष्टिक सभी भागीदारोंया या
	व्यष्टियों के पहचान अभिलेख'देता है)
3.	लेनदार का पत्र-व्यवहार के लिए पता और ईमेल पता
4.	दावे का विवरण (जिसमें दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को
	दावे की राशि शामिल है)
5.	डन दस्तावेजों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देष से दावा सिद्ध किया जा
	सकता है
6.	इस संबंध में ब्यौरे कि दावा कैसे और कब उद्भूत हुआ
7.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच ऐसे किसी पारस्परिक जमा,
	पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहार (लेनदेन) के ब्यौरे,
	जिन्हें दावे के प्रति समायोजित किया जा सकता है
8.	क. धारित किसी प्रतिभूति, प्रतिभूति के मूल्य और उसकी तारीख,
	या
	ख. उस माल या संपत्ति की बाबत, जिसका दावे में निर्देश किया गया
	है, प्रतिधारण हक व्यवस्था के ब्यौरे
9.	उस बैंक खाते के ब्यौरे, जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण
	में दावे की रकम या उसका कोई भाग अंतरित किया जा सकता है
10.	दावे के साथ संलग्न उन दस्तावेज़ों की सूची, जिनसे लेनदार को
	देय दावा और उसकी तुष्टि न होना साबित हो सके
लेनदार	र या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर
(यदि	यह लेनदार की ओर से प्रस्तुत/हस्ताक्षरित किया जा रहा है, तो कृप्या प्राधिकार-पत्र संलग्न करें)

नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

*पैन, पासपोर्ट, आधार या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचार कार्ड ¹⁴⁸[घोषणा

- मैं, [दावाकर्ता का नाम], वर्तमान निवासी [पता लिखें], एतद्दवारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूं:-
- 1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि......20 है, वास्तव में (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रुपए की राशि के लिए मेरा ऋणी था।
- 2. मैने उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: [कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेज़ों की सूची दें, जिनका अवलंब लिया गया था]
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं तथा उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- 4. मैने और न ही मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिएकिसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तृष्टि या प्रतिभृति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

¹⁴⁸ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2017-18/जी.एन./आर. ई. जी.030, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वाराकिया जाएगा]

¹⁴⁹[प्ररूप चक

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया वापस लेने के लिए आवेदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 30क के अधीन]

(तारीख)

सेवा में, न्यायनिणीयक प्राधिकारी

(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक के माध्यम से) (कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय: (कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए स्वीकृत आवेदन की वापसी

मैने (आवेदक का नाम), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7/धारा 9/धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष.......(फाइल करने की तारीख) को (आवेदन की विशिष्टियां, अर्थात् डायरी सं./मामला सं.) आवेदन फाइल किया था । उक्त आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा(तारीख) को(मामला सं.) के रूप में ग्रहण कर लिया गया था ।

- 2. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7/धारा 9/धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष मेरे द्वारा फाइल किए गए आवेदन..... (आवेदन की विशिष्टियां, अर्थात् डायरी सं./कंपनी याचिका सं.) को वापस लेता हं।
 - 3. मैं विनियम 30क के उप-विनियम (2) के अनुसार अपेक्षित बैंक गारंटी संलग्न करता हूं । (आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अभिहित भागीदार द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]

¹⁵⁰[प्ररूप छ

¹⁴⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁵⁰ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[उद्योग का प्रकार] में [अवस्थान(अवस्थानों)] पर प्रचालन करने वाले [कारपोरेट ऋणी का नाम] के लिए रिव की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 36क(1) के अधीन]

	सुसंगत प्रविष्टियां
1	निगमित ऋणी का नाम,पैन/सी.आई.एन./एल.एल.पी. सं. सहित
2	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
3	वैबसाइट का यू.आर.एल.
4	उस स्थान का ब्यौरा, जहां अधिकांश स्थिर आस्तियां अवस्थित हैं
5	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता
6	पिछले वित्तीय वर्ष में विक्रीत मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य
7	कर्मचारियों/कर्मकारों की संख्या
8	अतिरिक्त ब्यौरे, जिसके अंतर्गत पिछले दो वर्षों की उपलब्ध वित्तीय विवरणियां
	(अनुसूचियों सहित), लेनदारों की सूचियां, प्रक्रिया की पश्चात्वर्ती घटनाओं के
	लिए सुसंगत तारीखें कहां उपलब्ध हैं:
9	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता कहां उपलब्ध है
10	रूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तारीख
11	भावी समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तारीख
12	अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
13	रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आई.डी.

समाधान व्यावसायिक के हस्ताक्षर समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकृत पता (कारपोरेट ऋणी का नाम) की ओर से (तारीख और स्थान)]

प्ररूप ज

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 39(4) के अधीन]

मैं, (समाधान ट्यावसायिक का नाम) (दिवाला ट्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित
और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) से रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक हूं
2. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम	विशिष्टियां	विवरण
सं.		
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की तारीख	
3	अंतरिम समाधान व्यावसायिक नियुक्त करने की तारीख	
4	सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख	
5	लेनदारों की समिति के गठन की तारीख	
6	लेनदारों की पहली बैठक की तारीख	
7	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख	
8	रजिस्ट्रीकृतमूल्यांकक की नियुक्ति की तारीख	
9	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण जारी करने की तारीख	
10	पात्र भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची की तारीख	
11.	समाधान योजना के आमंत्रण तारीख	
12	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
13	लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख	
14	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना फाइल करने की तारीख	
15	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के 180 दिन समाप्त होने की तारीख	
16	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अविध बढ़ाने वाले आदेश की तारीख	
17	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने की	
	तारीख	
18	उचित मूल्य	
19	समापन मूल्य	
20	लेनदारों की समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	

- 3. मैने समाधान आवेदक (मैसर्स.....) की ओर से प्राप्त और.... (कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की परीक्षा की है ।
- 4. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि -

- (i) उक्त समाधान योजना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (सी.आई.आर.पी. विनियम) के समस्त उपबंधों का अनुपालन करती है और यह तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है।
- (ii) समाधान आवेदक (मैसर्स.....) ने संहिता की धारा 30(1) के अनुसरण में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने संबंधी संहिता की धारा 29क के अधीन उसकी पात्रता को प्रमाणित किया गया है । उक्त शपथपत्र की अंतर्वस्त् सही है ।
- (iii) उक्त समाधान योजना का लेनदारों की समिति द्वारा संहिता और उसके अधीन बनाए गए सी.आई.आर.पी. विनियमों के उपबपंधों के अनुसार अनुमोदन कर दिया गया है । समाधान योजना सी.आई.आर.पी. विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट साध्यता और व्यवहार्यता और अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् वितीय लेनदारों के प्रतिशत (मतों की संख्या का वर्णन करें जिसके द्वारा समाधान योजना का लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है) मतदान शेयर द्वारा अनुमोदित की गई है । (iv) मतदान का आयोजन लेनदारों की समिति का(बैठक की तारीख का कथन करें) को हुई बैठक में किया गया था जहां लेनदारों की समिति के समस्त सदस्य उपस्थित थे ।

मैनेइलैक्ट्रानिक मतदान पद्धिति द्वारा लेनदारों की समिति के सदस्यों से मतदान की ईप्सा की थी, जो कि विनियम 26 के अनुसार 24 घंटे के लिए खुला रखा गया था ।

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

या

5. कारपोरेट ऋणी के वितीय लेनदारों की सूची (कारपोरेटे ऋणी के नाम का उल्लेख करें) जो कि लेनदारों की समिति के सदस्य हैं और उनके बीच मतदान शेयर का वितरण निम्नलिखित रूप में है:-

क्रम सं.	लेनदार का नाम	मतदान शेयर (प्रतिशत)	समाधान योजना के लिए मतदानयोजना
			(पक्ष में मत/विपक्ष में मत/अनुपस्थित
			_

6. समाधान योजना के अंतर्गत सी.आई.आर.पी. विनियमों के विनियम 38(1क) के अधीन इस संबंध में कथन शामिल है कि इसमें संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन में सभी हितधारकों के हितों पर किस प्रकार विचार किया गया है।

¹⁵¹[7. समाधान योजना के तहत हितधारको के लिए देय राशि निम्नान्सार है :-

(राशि रु लाख मे)

क्रम	हितधारकों का	हितधारकों का उप-प्रवर्ग	दावा	स्वीकार	योजना	दावा की गई रकम के
सं.	प्रवर्ग*		की	की गई	के	मुकाबले प्रदान की गई
			गई	रकम	अधीन	रकम(%)
			रकम		प्रदान	

¹⁵¹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

					की गई	
					रकम#	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतिभूत	(क). लेनदारों को,				
	वितीय	जिनके पास धारा 21				
	लेनदारों	की उपधारा (2) के				
		अधीन मतदान करने				
		का अधिकार नही है				
		(ख). उपरोक्त (क) के				
		अलावा :				
		(i) जिन्होने समाधान				
		योजना के पक्ष मे				
		मतदान नही किया				
		(ii) जिन्होने समाधान				
		योजना के पक्ष मे				
		मतदान किया				
		योग [(क) + (ख)]				
2	अप्रतिभूत	(क). लेनदारों को,				
	वितीय	जिनके पास धारा 21				
	लेनदारों	की उपधारा (2) के				
		अधीन मतदान करने				
		का अधिकार नही है				
		(ख). उपरोक्त (क) के				
		अलावा :				
		(i) जिन्होने समाधान				
		योजना के पक्ष मे				
		मतदान नही किया				
		(ii) जिन्होने समाधान				
		योजना के पक्ष मे				
		मतदान किया				
		योग [(क) + (ख)]				
3	प्रक्रियागत	(क). कॉर्पोरेट ऋणी के				
	लेनदारों	संबन्धित पक्षकार				
		(ख). उपरोक्त (क) के				
		अलावा :				

		(i) (ii) (iii) (iv)	सरकार कर्मकार कर्मचारी		
		योग [(क	5) + (ख)]		
4	अन्य ऋण				
	अन्य ऋण और देय				
समस्त	योग				

- * यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हों तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़ें । # समाधान योजना के अधीन अतिरिक्त समय में प्रदान की गई रकम और इसके अंतर्गत गैर-नकदी घटकों का अनुमानित मूल्य भी शामिल है । यह एन.पी.वी. नहीं है ।]
- 8. समाधान योजना द्वारा विद्यमान शेयरधारकों के हितों में निम्न प्रकार परिवर्तन हुआ है:

<u> </u>	4	- 11 1 11 11 11 11 11 11	1 16411 -1 1 1 1	71 111 111 111	3 (1.
क्रम सं.	शेयरधारक का	सी.आई.आर.पी.	सी.आई.आर.पी.	सी.आई.आर.पी.	सी.आई.आर.पी.
	प्रवर्ग	से पूर्व धारित	के पश्चात्	से पूर्व धारित	के पश्चात्
		शेयरों की	धारित शेयरों	मतदान शेयर	धारित मतदान
		संख्या	की संख्या	(%)	शेयर(%)
1	साधारण पूंजी				
2	अधिमान				
3					

9. समाधान योजना का अनुपालन निम्न प्रकार है:-

संहिता की धारा/	समाधान योजना की बाबत अपेक्षा	समाधान योजना	अनुपालन
विनियम सं.		का खंड	(हां/नहीं)
25(2)(ज)	क्या समाधान आवेदक, कारपोरेट ऋणी के कारबार की		
	जटिलता और प्रचालन के स्तर को ध्यान में रखते हुए		
	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों को पूरा		
	करता है?		
धारा 29क	क्या समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक की		
	अंतिम सूची या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश,		
	यदि कोई है, के अनुसार समाधान योजना प्रस्तुत करने		
	के लिए पात्र है?		
धारा 30(1)	क्या समाधान आवेदक ने यह कथन करते हुए कोई		
	शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि वह पात्र है?		
¹⁵² धारा 30(2)	क्या समाधान योजना :		

¹⁵² अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.052, दिनांकित 27-11-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का संदाय किए जाने का उपबंध है? (ख) में प्रक्रियागत लेनदारों को संदाय किए जाने का उपबंध है? (ग) में वितीय लेनदारों जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दिया? (ध) में कोपॉरट ऋणी के मामलों का प्रबंधन किए जाने का उपबंध है? (इ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (य) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंधन करती हैं? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य हैं? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित हैं? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(ख) में प्रक्रियागत लेनदारों को संदाय किए जाने का उपबंध है? (ग) में वितीय लेनदारों जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दिया? (घ) में कोपीरट ऋणी के मामलों का प्रबंधन किए जाने का उपबंध है? (इ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (य) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंधन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
उपबंध है? (ग) मे वितीय लेनदारों जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दिया? (घ) में कोर्पोरट ऋणी के मामलों का प्रबंधन किए जाने का उपबंध है? (ङ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(ग) में वितीय लेनदारों जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दिया? (घ) में कोर्पोरट ऋणी के मामलों का प्रबंधन किए जाने का उपबंध है? (इ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
पक्ष मे मत नहीं दिया? (घ) में कोपींरट ऋणी के मामलो का प्रबंधन किए जाने का उपबंध है? (ङ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(घ) में कोपींरट ऋणी के मामलो का प्रबंधन किए जाने का उपबंध है? (ङ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
का उपबंध है? (ङ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सिहत अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(ङ) में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सिहत अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
का उपबंध है? (च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
उल्लंघन करती है? धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
धारा 30(4) क्या समाधान योजना (क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सिहत अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की सिमिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
व्यवहार्य है? (ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
(ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सिहत अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
शेयर सिहत अनुमोदित है? धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की सिमिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
धारा 31(1) क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?
उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं? 153[***]
¹⁵³ [***]
¹⁵⁴ [विनियम कि) क्या समाधान योजना के अधीन प्रक्रियागत
<u>-</u>
38(1) लेनदारों को देय रकम का संदाय करने में वित्तीय
लेनदारों के मुकाबले पूर्विकता दी गई है?]
विनियम क्या समाधान योजना में यह कथन शामिल है कि उसमें
38(1क) सभी हितधारकों के हितों पर किस प्रकार विचार किया
गया है?
¹⁵⁵ [विनियम 38 (i)क्या समाधान आवेदक या उससे संबद्ध कोई पक्षकार
(1ख) संहिता के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना को
कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके
कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है?
(ii) यदि ऐसा है, तो क्या समाधान आवेदक ने ऐसे
अकार्यान्वयन के ब्यौरे देते हुए विवरण प्रस्तुत किया
है?]

¹⁵³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा लोप किया गया ।

¹⁵⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁵⁵ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.040, दिनांकित 24-01-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विनियम 38(2)	क्या समाधान योजना में निम्नलिखित के लिए उपबंध	
	है:	
	(क) योजना की अवधि और उसकी कार्यान्वयन	
	अनुसूची?	
	(ख) उसकी अवधि के दौरान कारपोरेट ऋणी के	
	कारबार के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए?	
	(ग) उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त	
	साधन?	
विनियम 38(3)	क्या समाधान योजना यह प्रदर्शित करती है कि -	
	(क) वह ट्यतिक्रम के कारण को दूर करती है?	
	(ख) वह साध्य और व्यवहार्य है?	
	(ग) उसमें इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध	
	है ं?	
	(घ) इसमें अपेक्षित अनुमोदनों और उसके लिए	
	समयसीमा के लिए उपबंध हैं?	
	(ङ) समाधान आवेदक समाधान योजना को	
	कार्यान्वित करने केलिए सक्षम है?	
विनियम 39(2)	क्या समाधान व्यावसायिक ने उसके द्वारा संप्रेक्षित,	
	पाए गए या अवधारित संव्यवहारों की बाबत आवेदन	
	फाइल किया है?	
¹⁵⁶ [विनियम	विनियम 36ख के उप-विनियम (4क) में यथा-निर्दिष्ट	
39(4)	प्राप्त कार्य-निष्पादन प्रतिभृति के ब्यौरे दें।।]	

10. सी.आई.आर.पी. का संचालन नीचे उपदर्शित समय-सीमा के अनुसार किया गया है:

संहिता की धारा/	क्रियाकलाप का विवरण	विनियम 40क के	वास्तविक
विनियम सं.		अधीन अद्यतन	तारीख
		समयसीमा	
धारा 16(1)	सी.आई.आर.पी. का प्रारंभ और आई.आर.पी.	टी	टी
	की नियुक्ति		
विनियम 6(1)	सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन	ਟੀ+3	
धारा 15(1)(ग)/	दावों का प्रस्तुत किया जाना	ਟੀ+14	
विनियम 12(1)	-		
विनियम 13(1)	दावों की सत्यापन	ਟੀ+21	
धारा 26(6क)/	प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए	ਟੀ+23	
विनियम 15क	आवेदन, यदि आवश्यक हो		

¹⁵⁶ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.040, दिनांकित 24-01-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विनियम 17(1)	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित	ਟੀ+23
	करते हुए रिपोर्ट फाइल करना	
धारा 22(1) और	लेनदारों की समिति की पहली बैठक	ਟੀ+30
विनियम 17(2)		
विनियम 35क	कपटपूर्ण और अन्य संव्यवहारों का	ਟੀ+115
	अवधारण	
विनियम 27	दो रजिस्ट्रीरकृतमूल्यांककों की नियुक्ति	ਟੀ+47
¹⁵⁷ [विनियम	लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन	ਟੀ+54]
36(1)	प्रस्तुत किया जाना	
विनियम 36क	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण	ਟੀ+ 75
	प्ररूप छ का प्रकाशन	ਟੀ+75
	समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची	ਟੀ+100
	समाधान आवेदकों की अंतिम सूची	ਟੀ+115
विनियम 36ख	समाधान आवेदकों को समाधान योजना के	ਟੀ+105
	लिए निवेदन जारी करना, जिसके अंतर्गत	
	मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन है	
धारा 30(6)/	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित	ਟੀ+165
विनियम 39(4)	समाधान योजना प्रस्तुत करना	
धारा 13(1)	समाधान योजना का अनुमोदन	ਟੀ+180

11. सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	अनुमोदन का	लागू विधि का	उस प्राधिकारी का नाम जो	कब प्राप्त किया
	नाम	नाम	अनुमोदन प्रदान करेगा	जाना है
1				
2				
3				

12. समाधान योजना किसी आकस्मिकता के अध्यधीन नहीं है।

П	г	г	٠.
	П		

.....समाधान योजना निम्नलिखित आकस्मिकताओं के अध्यधीन है (आकस्मिकताओं का विस्तृत ब्यौरा दें)

II.....

13, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों या जारी परिपत्रों के विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया जाता है तो कृपया उसके ब्यौरे और कारणों का कथन करें)

¹⁵⁷ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

क्रम सं.		संहिता			कारण	क्या सुधार किया
	विचलन/अननुपालन	विनियम	सं./	परिपत्र		गया अथवा नहीं
		सं.				
1						
2						
3						

14. समाधान योजना संहता की धारा 12 में उपबंधितकारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि की समाप्ति से......दिन पूर्व फाइल की जा रही है ।

(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के एक सौ पैंतीसवें दिन या उससे पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन किया है:

हां/नहीं

(ख) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के एक सौ चालीसवें दिन या उससे पूर्व बोर्ड के समक्ष प्ररूप सी.आई.आर.पी. 8 फाइल किया है:

हां/नहीं ।]

15. धारा 66 या फाइल की गई/लंबित परिवर्जन आवेदन के ब्यौरे दें।

	,	1	1	,
क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक	न्यायनिर्णायक	आदेश का
		प्राधिकारी के	प्राधिकारी के	संक्षिप्त विवरण
		समक्ष फाइल	आदेश की तारीख	
		करने की तारीख		
1.	धारा 43 के अधीन			
	अधिमानीसंव्यवहार			
2.	धारा 45 के अधीन			
	अधोमूल्यांकितसंव्यवहार			
3.	धारा 50 के अधीन			
	उद्दीपित प्रत्यय			
	संव्यवहार			

¹⁵⁸[14क. क्या समाधान व्यावसायिक ने विनियम 35क के अनुसार,-

¹⁵⁸ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, दिनांकित 14-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

4.	धारा 66 के अधीन		
	कपटपूर्ण संव्यवहार		

¹⁵⁹[15क. सिमिति ने विनियम 39ख के अधीन निम्न प्रकार अंशदान प्रदान करने के लिए एक योजना का अनुमोदन कर दिया है:

	\sim			
क.	प्राक्कलित	समापन	लागत:	रूपए

ख. उपलब्ध प्राक्कलित नकद आस्तियां:रूपए

ग. किए जाने वाले अपेक्षित अंशदान:रूपए

घ. वित्तीय लेनदार-वार अंशदान निम्न प्रकार है:

क्रम	वितीय लेनदार का नाम	अंशदान की जाने वाली रकम
सं.		(रूपए.)
1		
2		
योग		

15ख. समिति ने विनियम 39ग के अधीन निम्न प्रकार सिफारिश की है:

क. चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी का विक्रय: हां / नहीं

ख. चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी के कारबार का विक्रय: हां / नहीं

सिफारिश के ब्यौरे समाधान व्यावसायिक के पास उपलब्ध हैं।

15ग. समिति ने समाधान व्यावसायिक से परामर्श करके, विनियम 39घ के अधीन समापन अविध के दौरान परिसमापक को संदेय फीस नियत कर दी है।

16. मैं...... (समाधान व्यावसायिक का नाम) प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इनमें से कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नाम:

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृतईमेलआई.डी.:

तारीख:

स्थान:;]

¹⁵⁹ अधिसूचना सं.आई.बी.बी. आई./2019-20/जी.एन./आर. ई. जी.048, दिनांकित 25-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁶⁰[अनुसूची-॥

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 34ख के अधीन]

न्यूनतम नियत फीस

1. अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, को खंड 2 में उल्लिखित अविध के लिए नीचे दी गई सारणी-1 के अनुसार न्यूनतम नियत फीस संदत्त की जाएगी:

सारणी-1: न्यूनतम नियत फीस ढांचा

स्वीकृत दावों का परिमाण	न्यूनतम प्रति मास फीस
	(लाख रुपयों में)
(i) 50 करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	1.00
(ii) 50 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 500 करोड़	2.00
रूपए से कम या उसके बराबर	
(iii) 500 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 2,500	3.00
करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	
(iv)2,500 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 10,000	4.00
करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	
(v)10,000 करोड़ रूपए से अधिक	5.00

न्यूनतम नियत फीस की अवधि

- 2. न्यूनतम नियत फीस, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति करने से -
 - (क) धारा 30 के अधीन समाधान योजना के अन्मोदन के लिए आवेदन प्रस्त्त करने;
 - (ख) धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने;
 - (ग) धारा 12क के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने; या
- (घ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को बन्द करने का आदेश होने; के समय तक की अविध के लिए, इन में से जो भी पूर्वतर हो,लागू होगी।

¹⁶⁰ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस

3. ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से सारणी-2 में दी गई समयाविध के भीतर प्रस्तुत की जाती है वहां समाधान व्यावसायिक को, समाधान आवेदक द्वारा लेनदारों को भुगतान शुरू होने के पश्चात और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् सारणी-2 के अनुसार कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस संदत्त की जा सकेगी।

सारणी-2: समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस

दिवाला समाधान प्रक्रिया की तारीख	वसूलनीय मूल्य के प्रतिशत के रूप में फीस
से समय	
(i)165 दिन से कम या उसके	1.00
बराबर	
(ii) 165 दिन से अधिकलेकिन 270	0.75
दिन से कम या उसके बराबर	
(iii) 270 दिन से अधिक लेकिन	0.50
330 दिन से कम या उसके बराबर	
(iv) 330 दिन से अधिक	0.00

अधिकतम मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस

4.समाधान व्यावसायिक को, अधिकतम मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का संदाय, समाधान आवेदक द्वारा लेनदारों को भुगतान शुरू होने के पश्चात और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् उस रकम के एक प्रतिशत की दर पर किया जा सकेगा, जितना वसूलनीय मूल्य समापन मूल्य से उच्चतर है।

स्पष्टीकरण: खंड 3 और खंड 4 के प्रयोजनों के लिए, 'वसूलनीय मूल्य' से धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना में लेनदारों को संदेय रकम अभिप्रेत है।

हष्टांत -

किसी ऐसे कारपोरेट ऋणी का, जिसका समापन मूल्य बीस करोड़ रूपए है, समाधान किया गया था और लेनदारों का वसूलनीय मूल्य एक सौ करोड़ रूपए था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समाधान योजना दिवाला प्रिक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से 170वें दिन प्रस्तुत की गई थी। समिति ने खंड 3 और 4 के अधीन कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का संदाय करने का विनिश्चय किया है।

इस मामले में, समाधान व्यावसायिक को संदेय फीस निम्न प्रकार होगी:

- (i) समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस: 100 करोड़ का 0.75 प्रतिशत = 75 लाख रुपए; और
- (ii) अधिकतम मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस: 80 करोड़ रूपए(100 करोड़ रूपए 20 करोड़ रुपए) का 1.00 प्रतिशत= 80 लाख रूपए।]

(डा. एम. एस. साहू) अध्यक्ष भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड